AKSH OPTIFIBRE LTD JAIPUR

मूल निवास प्रमाण प्रत्र

ई-मित्र के द्वारा कैसे बनाये ?

emitra.rajasthan.gov.in
https://sso.rajasthan.gov.in

परिचय

- नमस्कार दोस्तो,
- ई-मित्र आमजन की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से कियोस्क के द्वारा निजी एवं समस्त सरकारी सेवाएं लोगो तक पहुचाई जाती हैं।
- इन सेवाओं में से एक महत्वपुर्ण सेवा मूल निवास प्रमाण पत्र है,

क्या आप जानते है?

- मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ?
- मूल निवास प्रमाण पत्र कहां उपयोग में आता है ?
- कौन मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता है और कौन नहीं ?
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये किन-किन आवश्यक दस्तावेज़ों की जरुरत होती हैं?

क्या आप जानते है?

- आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा ?
- आवेदन कहां और कैसे होगा ?
- कितना शुल्क लगेगा ?
- मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता क्या है ?

इन सब की जानकारी हम आपकों देते हैं,

तो चलीए शुरू करते है यहां से -

मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ?

- मूल निवास प्रमाण-पत्र उस स्थान पर स्थाई रूप से निवास करने की नागरिकता (Address Proof) दर्शाता है।
- आम तौर पर यह प्रमाणित करने के लिए कि वह व्यक्ति राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का एक निवासी है।

मूल निवास प्रमाण पत्र कहां उपयोग में आता है ?

- मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग आमतौर पर वास्तविक स्थान / निवास स्थान के लिए किया जाता है।
- शैक्षणिक संस्थानों में।
- सरकार की अन्य योजनाओं में निवासी कोटा का लाभ उठाने के लिए निवास का प्रमाण आवश्यक है, और
- नौकरियों के मामले में जहां स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है वहां मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।

कौन मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता है और कौन नहीं ?

- वह व्यक्ति राज्य का निवासी होना चाहिये
- नियमों के अनुसार जो व्यक्ति उस राज्य/प्रांत में लगातार पिछले 10 वर्षों तक निवास कर लेता है वह मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता है।

कौन मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता है और कौन नहीं ?

- वह व्यक्ति जो अन्य राज्य का मूल निवासी हो, विदेशी व्यक्ति या इस राज्य में निवास करते हुए अभी 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हो, इस राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए योग्य नहीं है।
- 18 वर्ष से कम आयू के बालक या बालिका (आवश्यक होने पर उनके माता या पिता का प्रमाण पत्र लगाया जा सकेगा)

मूल निवास सेवाएं

- राजस्थान राज्य में राजस्व (Revenue) विभाग की और से मूल निवास प्रमाण पत्र को तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।

S.No.	Department	Services	Service Type
1	Revenue Dep.	Application Form for Bonafide Certificate	Application
2	Revenue Dep.	Application Form for Bonafide Certificate –TSP	Application
3	Revenue Dep.	Print Digital Signed Certificates	Utility
4	Revenue Dep.	Re-Print Digital Signed Certificates	Utility

***TSP Areas:- Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Udaipur & Sirohi**

कितना शुल्क लगेगा ?

- मूल निवास के लिए आवेदन करने पर विभाग द्वारा कोई चार्ज नहीं किया जाता है लेकिन ई-मित्र कियोस्क के द्वारा आवेदन कराये जाने पर
  - आवेदन शुल्क 50 रू. प्रति आवेदन
  - प्रमाण पत्र पीले पेपर पर प्रिन्ट के लिए 20 रू.
  - पीवीसी कार्ड प्रिन्ट के लिए 30 रू. लगेगा।
  - Re-Print Certificate के नि:शुल्क, तीन बार।

मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता क्या है ?

- मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन तक रहती है, लेकिन समय-समय पर हुए बदलाव जैसे निवास पता या उम्र के साथ फोटो में हुए बदलाव के कारण मूल निवास प्रमाण पत्र दुबारा बनवाया जा सकता है।
- *महिला अविवाहित रहने तक मूल निवास मान्य है |
- शादी के बाद ससुराल का पति के दस्तावेजो के आधार पर बनाना होगा

आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा ?

- आवेदन पत्र किसी भी ई-मित्र कियोस्क से या तहसील कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है।

या

- आवेदन पत्र ई-मित्र की वेबसाइट (emitra.rajasthan.gov.in/) के होम पेज पर उपलब्ध Download विकल्प के सर्च बॉक्स में बोनाफाईड लिखकर कोई भी डाउनलोड कर सकता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में क्या दस्तावेज लगाने होंगे ?

- मूल निवास बनाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हैं हालांकी इनमें लगने वाले 10 साल पुराने निवास स्थान के दस्तावेज की स्केन कॉपी अपलोड करने की अनिवार्यता नहीं हैं उसके स्थान पर दस्तावेज के आई.डी. नम्बर के माध्यम से जानकारीयां दर्ज की जा सकती है।

- पहचान के लिए एक दस्तावेज आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाइसेंस/ राशनकार्ड/ पासपोर्ट इत्यादि।
- लगातार पिछले 10 वर्षों के दस्तावेज़ा\ जैसे- गैस कनेक्शन पत्र/ राशनकार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ बिजली/पानी/टेलीफोन के बिलों की प्रतियां/ शिक्षा के दस्तावेज/ मकान की रजिस्ट्री या पट्टा इत्यादि।

मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में क्या दस्तावेज लगाने होंगे ?

- नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
- मूल निवास फॉर्म पर पासपोर्ट साईज की स्केन कॉपी अपलोड की जायेगी हैं।
- अन्य दस्तावेज़ात जैसे-

  जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा के दस्तावेज, परिवार में से किसी एक सदस्य की मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी इत्यादि दी जा सकती हैं।

जानते है मूल निवास के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें

- मूल निवास के लिए अविवाहित महिला आवेदन में स्वयं के नाम के साथ पिता का नाम और विवाह पश्चात महिला स्वयं के नाम के साथ पति का नाम दर्ज कर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवायेगी।
- दस्तावेज में स्वयं के नाम की आईडी के साथ पति के 10 वर्षों के दस्तावेज लगाने होंगे और साथ में विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड भी लगाया जा सकता हैं।

जानते है मूल निवास के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें

- उन महिलाओं की दषा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती है, सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।
- इसके लिए दस्तावेज में स्वयं की आईडी के साथ अपने पति के 10 वर्ष के दस्तावेज लगाने होंगे और साथ में विवाह का प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड आवेदन पत्र के साथ लगा सकते है।

जानते है मूल निवास के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें

- राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो, मूल निवास प्रमाण बनाया जा सकता है। इसके लिए कार्यालय पहचान आई.डी. या कार्यालय पत्र द्वारा प्रमाणीकरण कराना होता है।
- आवेदक यदि भारतीय सैनिक है तो स्वयं/ माता-पिता के आवश्यक दस्तावेज और सैनिक होने के प्रमाण पत्र के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
- आवेदक के नाम में संश्य हो तो बोर्ड या युनिर्वसिटी की अंक तालिका से प्रमार्णित कर डाटा एन्ट्री की जावेगी।

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनया जा सकता है ?

मूल निवास प्रमाण पत्र दो माध्यमों से बनाया जा सकता है-

- ✓ कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर। या
- ✓ स्वयं (As a Citizen) के स्तर पर ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन करना।

आवेदक (citizen) जो कि आवेदन कर रहा है उसका SSO पोर्टल पर प्रोफाइल पूरा भरा होना चाहिए।

अगर आवेदक के पास आधार/भामाशाह/जन आधार कार्ड तथा ईमित्र पंजीकरण संख्या ना हो तो वह 'नए ई-मित्र पंजीकरण हेतु' पर क्लिक करे और अपना पूरा प्रोफाइल भरे।

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनया जा सकता है ?

ई-मित्र पर सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की सेवाएं Online Users के लिए प्रारम्भ कर दी गयी है।

जारी किए गए प्रमाण पत्र को आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर निर्धारित शुल्क रु 20/- देकर भी प्राप्त कर सकते है अथवा आप अपने निवास स्थान पर भी अतिरिक्त शुल्क देकर प्राप्त कर सकते है।

अपने निवास स्थान पर प्राप्त करने हेतु कृपया Avail Service में जाकर Delivery at Home Service का चयन कर निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।

WORK FLOW

Applicant
1
Online
Apply
KIOSK
2
Online
2
Online
Tehsil Office
3
Dealing Authority
Check your application
Issuing Authority

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनया जा सकता है ?

- दोस्तों ये था मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारीयां जिसे हमने आपके साथ साझा की हैं अब आगे बढते है कि ई-मित्र पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क धारक कैसे आवेदन को ओनलाइन करेगा और इनसे जुड़ी तमाम जानकारीयां देने की कोशीश करेंगे-
- तो सबसे पहले शुरू करते है यहां से -

sso.rajasthan.gov.in/signin
Rajasthan Single Sign On v24.2
One Digital Identity for all Applications
English | हिन्दी
मोबाइल उपकरण से सुरक्षित ब्राउज़िंग करने के लिए दिशानिर्देश
•ब्लूटूथ के या एमएमएस संलग्नक के माध्यम से अनुप्रयोग (application) डाउनलोड करते समय सावधान रहें।
•अनावश्यक ब्लूटूथ को ऑन ना रखें।
•अविश्वस्त स्रोत से मोबाइल दूरभाष या लैपटॉप में सामग्री डाउनलोड करने से बचें।
•अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त हुए संदेहास्पद एमएमएस संदेश को खोलने से पूर्व ही हटा दें।
•सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय केवल सुरक्षित वेबसाइट पर ही जाएं।
•संवेदनशील जानकारी को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से बचें।
FREE
#BeCyberSmart
(National Cyber Crime Helpline Number: 155260)
Login
Registration
girdhari.lal.meena
682685
Login
I Forgot my Digital Identity (SSOID). Click Here
I Forgot my Password. Click Here
I have multiple SSOIDs Click here to merge
NEW As per UIDAI Policy, UID number is n
Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Government Of Rajasthan
Helpdesk Details | Website Policies | Password Policy | FAQ | Sitemap
1,53,82,19,408 | 37,38,334

E-MITRA आइकन पर क्लिक करें।

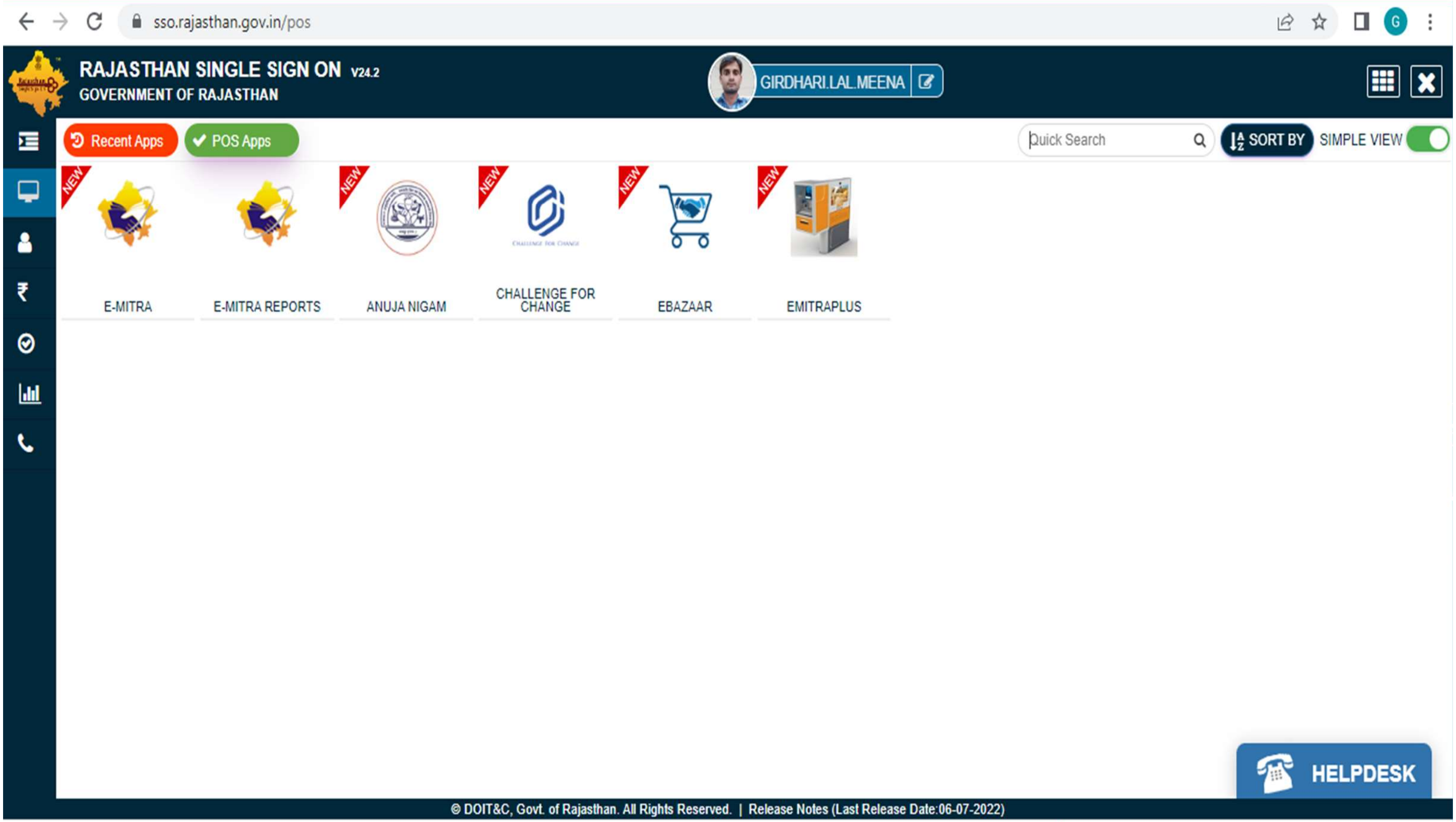

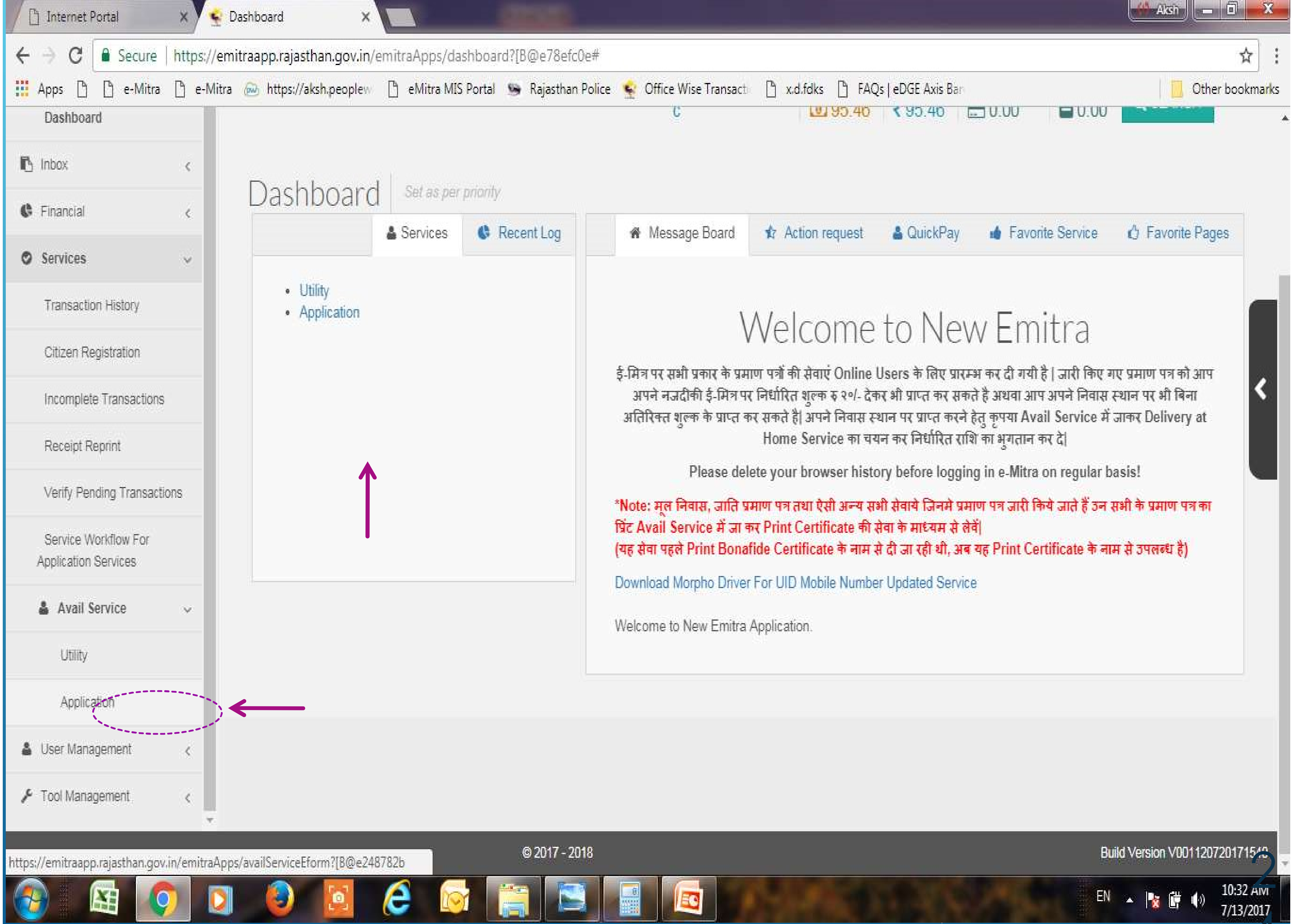
Internet Portal
Dashboard
Secure
https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraApps/dashboard?[B@e78efc0e#
Apps
e-Mitra
e-Mitra
https://aksh.peoplew
eMitra MIS Portal
Rajasthan Police
Office Wise Transacti
x.d.fdks
FAQs | eDGE Axis Bar
Other bookmarks
Dashboard
Inbox
Financial
Services
Transaction History
Citizen Registration
Incomplete Transactions
Receipt Reprint
Verify Pending Transactions
Service Workflow For Application Services
Avail Service
Utility
Application
User Management
Tool Management
Dashboard
Set as per priority
Services
Recent Log
Utility
Application
Message Board
Action request
QuickPay
Favorite Service
Favorite Pages
Welcome to New Emitra
ई-मित्र पर सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की सेवाएं Online Users के लिए प्रारम्भ कर दी गयी है | जारी किए गए प्रमाण पत्र को आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर निर्धारित शुल्क रु २०/- देकर भी प्राप्त कर सकते है अथवा आप अपने निवास स्थान पर भी बिना अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त कर सकते है| अपने निवास स्थान पर प्राप्त करने हेतु कृपया Avail Service में जाकर Delivery at Home Service का चयन कर निर्धारित राशि का भुगतान कर दें|
Please delete your browser history before logging in e-Mitra on regular basis!
*Note: मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र तथा ऐसी अन्य सभी सेवाये जिनमे प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं उन सभी के प्रमाण पत्र का प्रिंट Avail Service में जा कर Print Certificate की सेवा के माध्यम से लेवें|
(यह सेवा पहले Print Bonafide Certificate के नाम से दी जा रही थी, अब यह Print Certificate के नाम से उपलब्ध है)
Download Morpho Driver For UID Mobile Number Updated Service
Welcome to New Emitra Application.
https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraApps/availServiceEform?[B@e248782b
© 2017 - 2018
Build Version V00112072017154
EN
10:32 AM
7/13/2017

सर्च बॉक्स में BONAFIDE लिख कर प्रदर्शित सर्विस पर क्लिक करें दे। **अन्यथा**

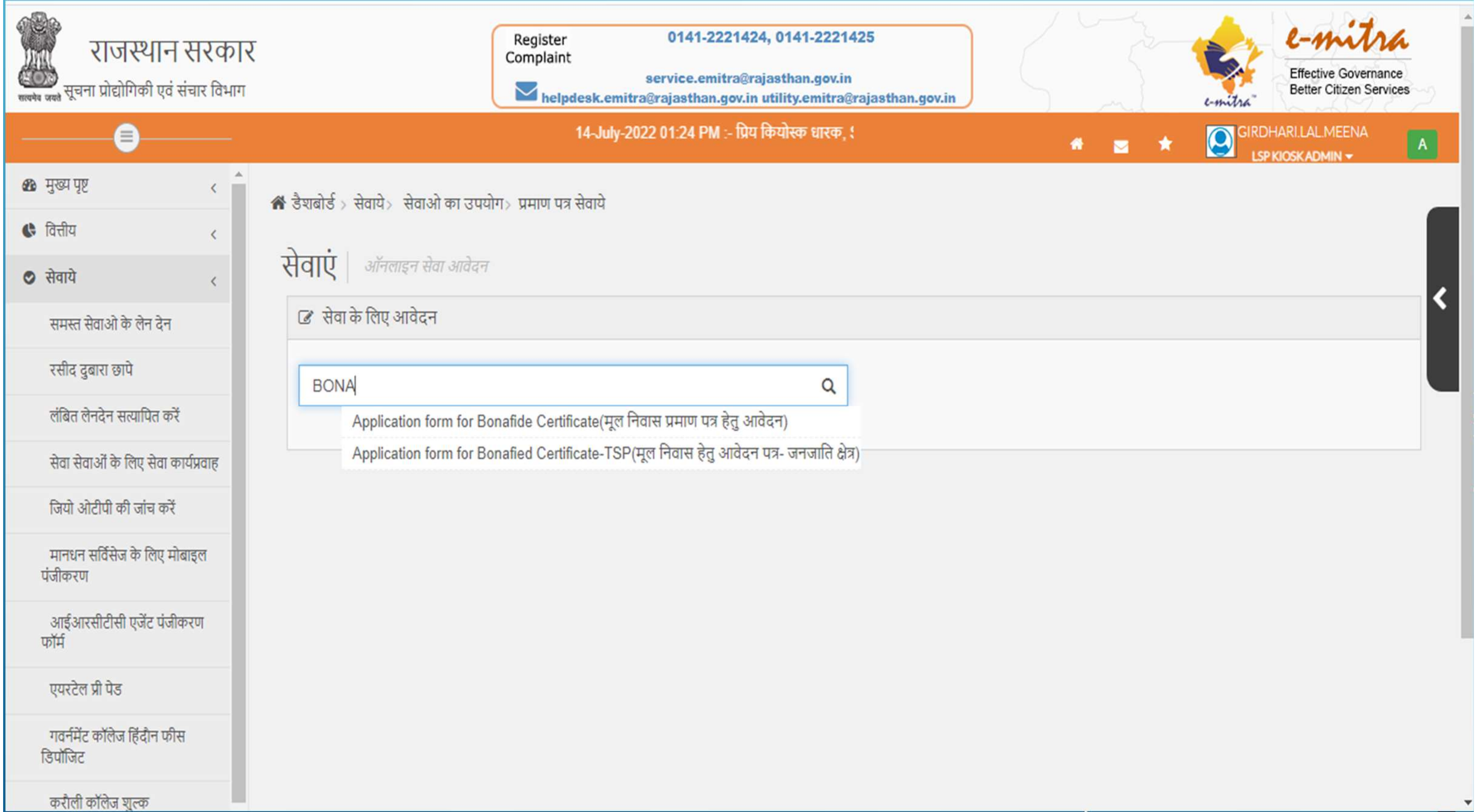

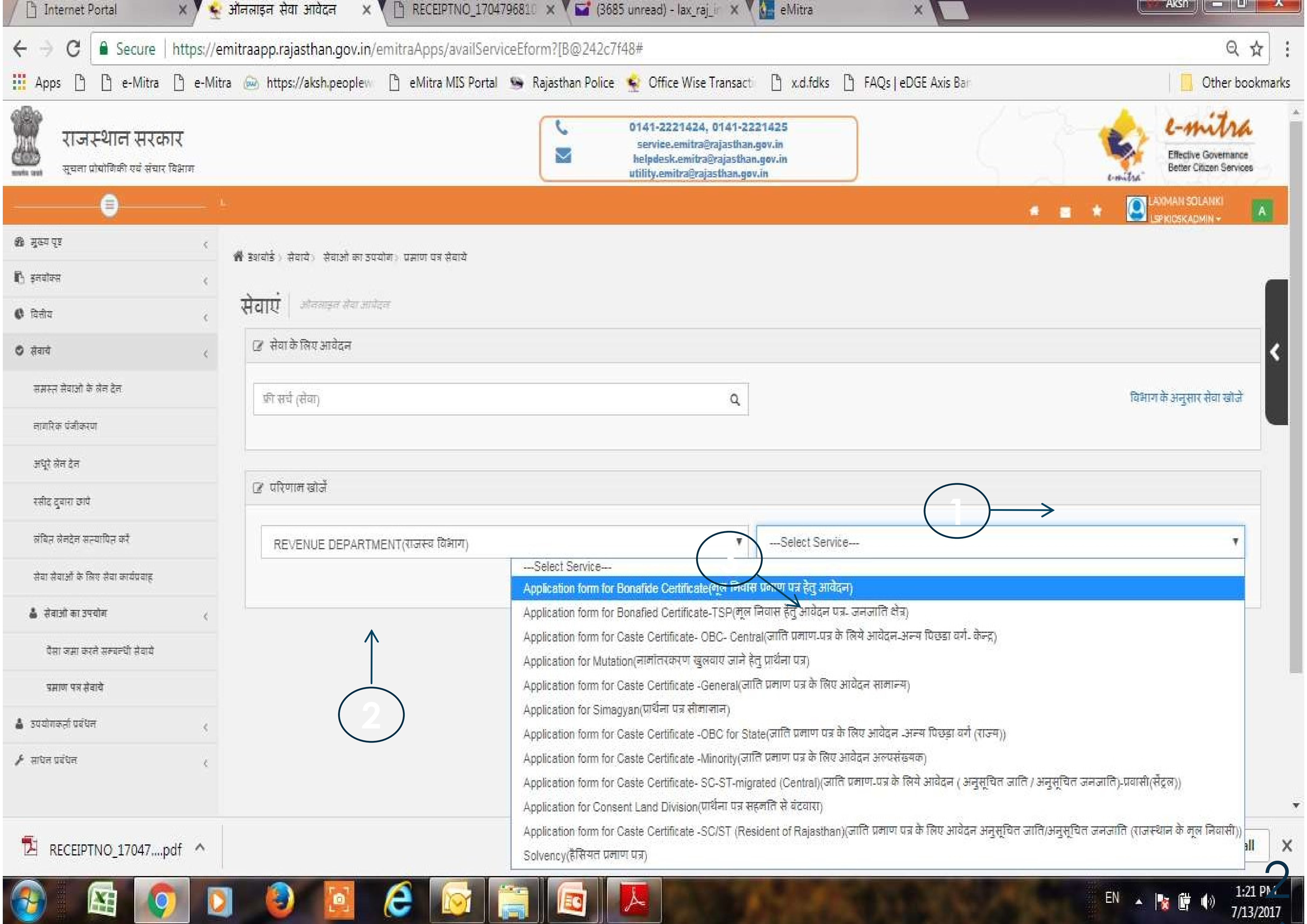
https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraApps/availServiceEform?[B@242c7f48#
राजस्थान सरकार
सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग
0141-2221424, 0141-2221425
service.emitra@rajasthan.gov.in
helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in
utility.emitra@rajasthan.gov.in
e-mitra
Effective Governance
Better Citizen Services
LAXMAN SOLANKI
मुख्य पृष्ठ
इनबॉक्स
वित्तीय
सेवायें
समस्त सेवाओं के लेन देन
नागरिक पंजीकरण
अधूरे लेन देन
रसीद दुबारा छापें
लंबित लेनदेन सत्यापित करें
सेवा सेवाओं के लिए सेवा कार्यप्रवाह
सेवाओं का उपयोग
पैसा जमा करने सम्बन्धी सेवायें
प्रमाण पत्र सेवायें
उपयोगकर्ता प्रबंधन
साधन प्रबंधन
डैशबोर्ड › सेवायें › सेवाओं का उपयोग › प्रमाण पत्र सेवायें
सेवाएं
सेवा के लिए आवेदन
फ्री सर्च (सेवा)
विभाग के अनुसार सेवा खोजें
परिणाम खोजें
REVENUE DEPARTMENT(राजस्व विभाग)
---Select Service---
Application form for Bonafide Certificate(मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन)
Application form for Bonafied Certificate-TSP(मूल निवास हेतु आवेदन पत्र- जनजाति क्षेत्र)
Application form for Caste Certificate- OBC- Central(जाति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन-अन्य पिछड़ा वर्ग- केन्द्र)
Application for Mutation(नामांतरकरण खुलवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र)
Application form for Caste Certificate -General(जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सामान्य)
Application for Simagyan(प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान)
Application form for Caste Certificate -OBC for State(जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन -अन्य पिछड़ा वर्ग (राज्य))
Application form for Caste Certificate -Minority(जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अल्पसंख्यक)
Application form for Caste Certificate- SC-ST-migrated (Central)(जाति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)-प्रवासी(सेंट्रल))
Application for Consent Land Division(प्रार्थना पत्र सहमति से बंटवारा)
Application form for Caste Certificate -SC/ST (Resident of Rajasthan)(जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (राजस्थान के मूल निवासी))
Solvency(हैसियत प्रमाण पत्र)
1
2
RECEIPTNO_17047....pdf
1:21 PM
7/13/2017

जन आधार सं. दर्ज करके आगे की प्रक्रीया पुर्ण की जा सकती है, व "आगे बढे" बटन पर क्लिक करे।

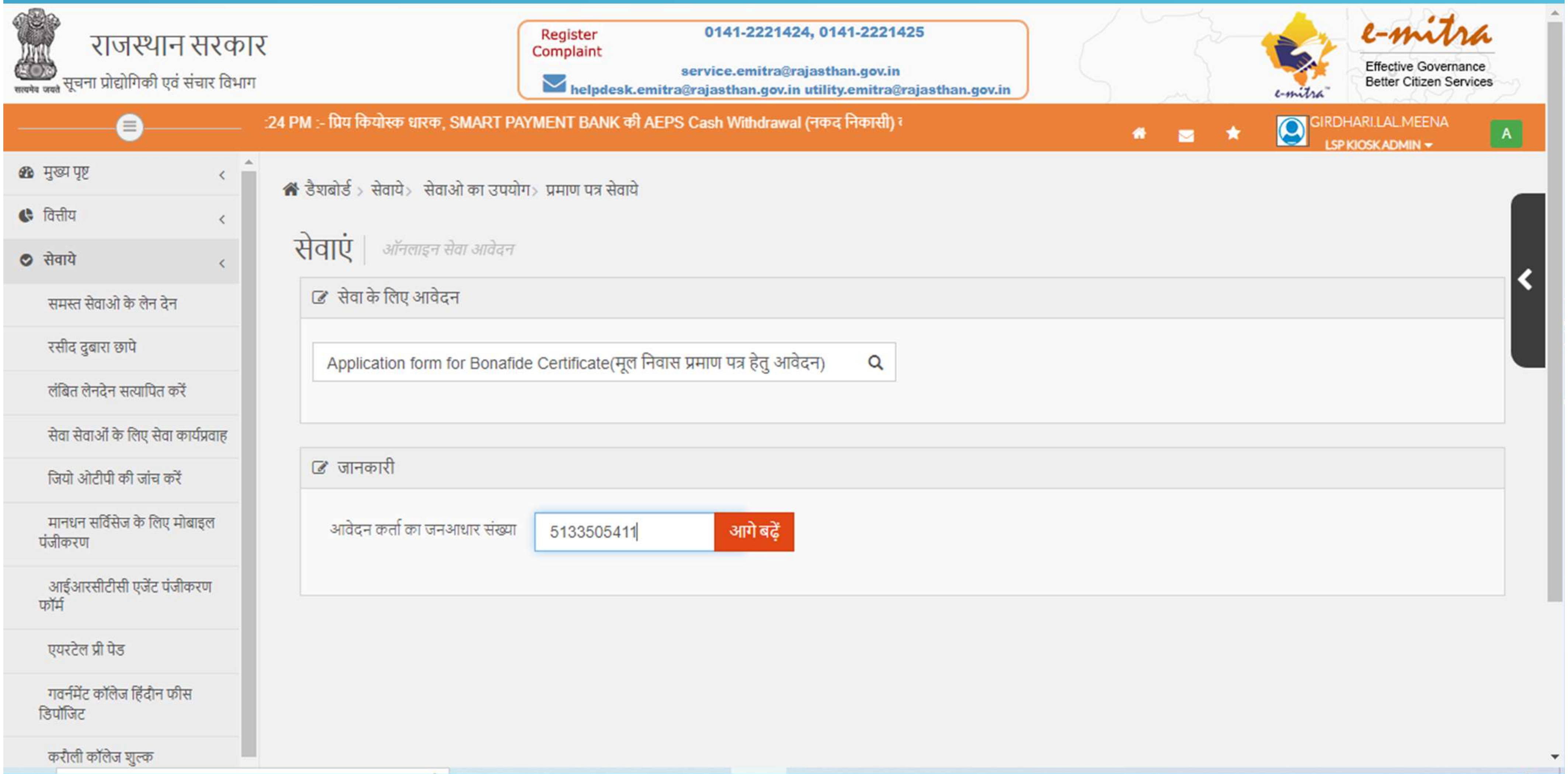

आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP CODE आयेगा। यह कोड दर्ज कर “सही” बटन पर क्लिक करे।

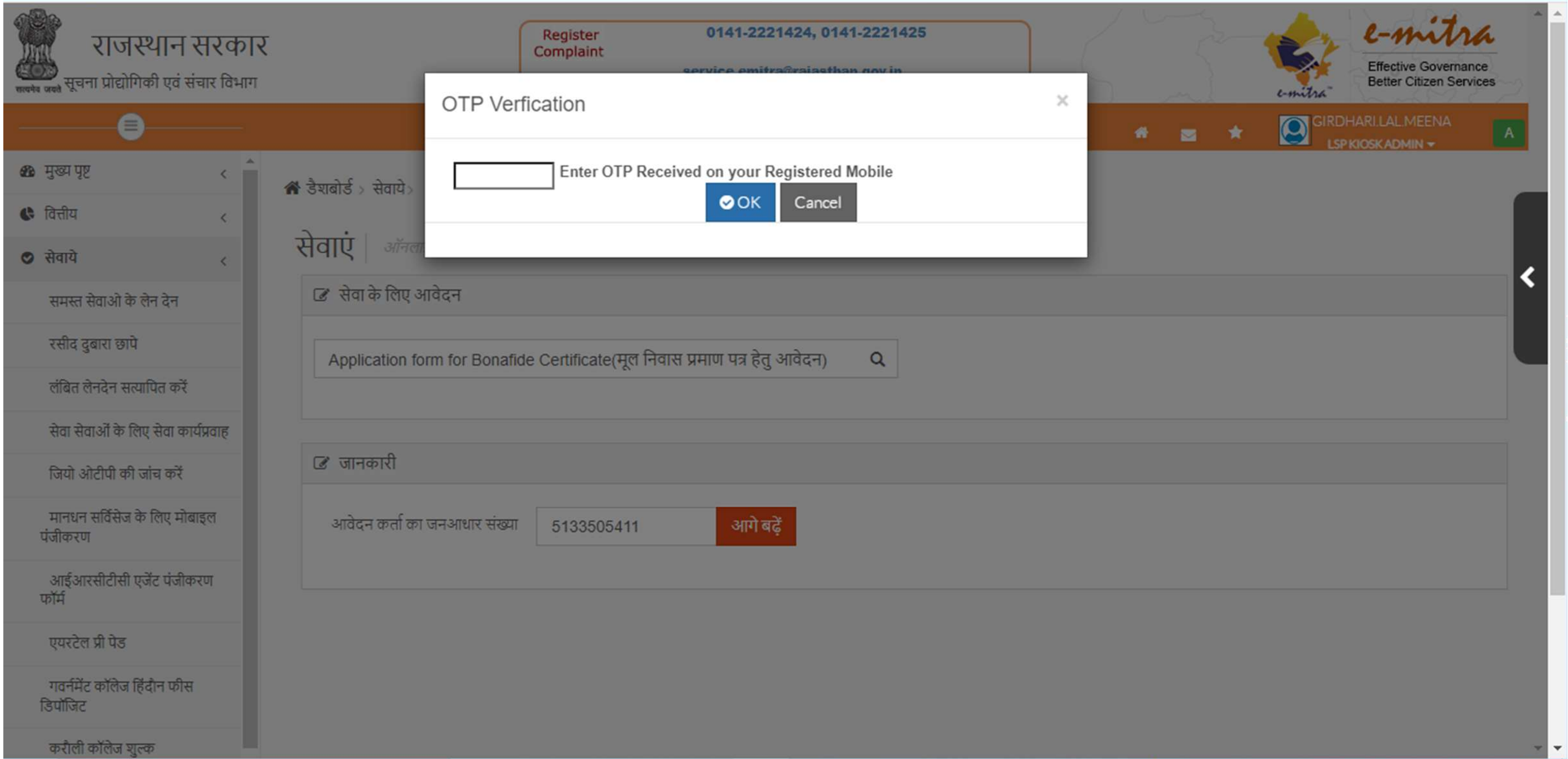

आवेदक की जानकारीयां स्वत: दिखाई देगी, मूलभूत जानकारीयां जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति आदि जांच सकते है पूर्ण जानकारीयां प्राप्त करने के लिए **FETCH ADDRESS** बटन पर क्लिक करे।

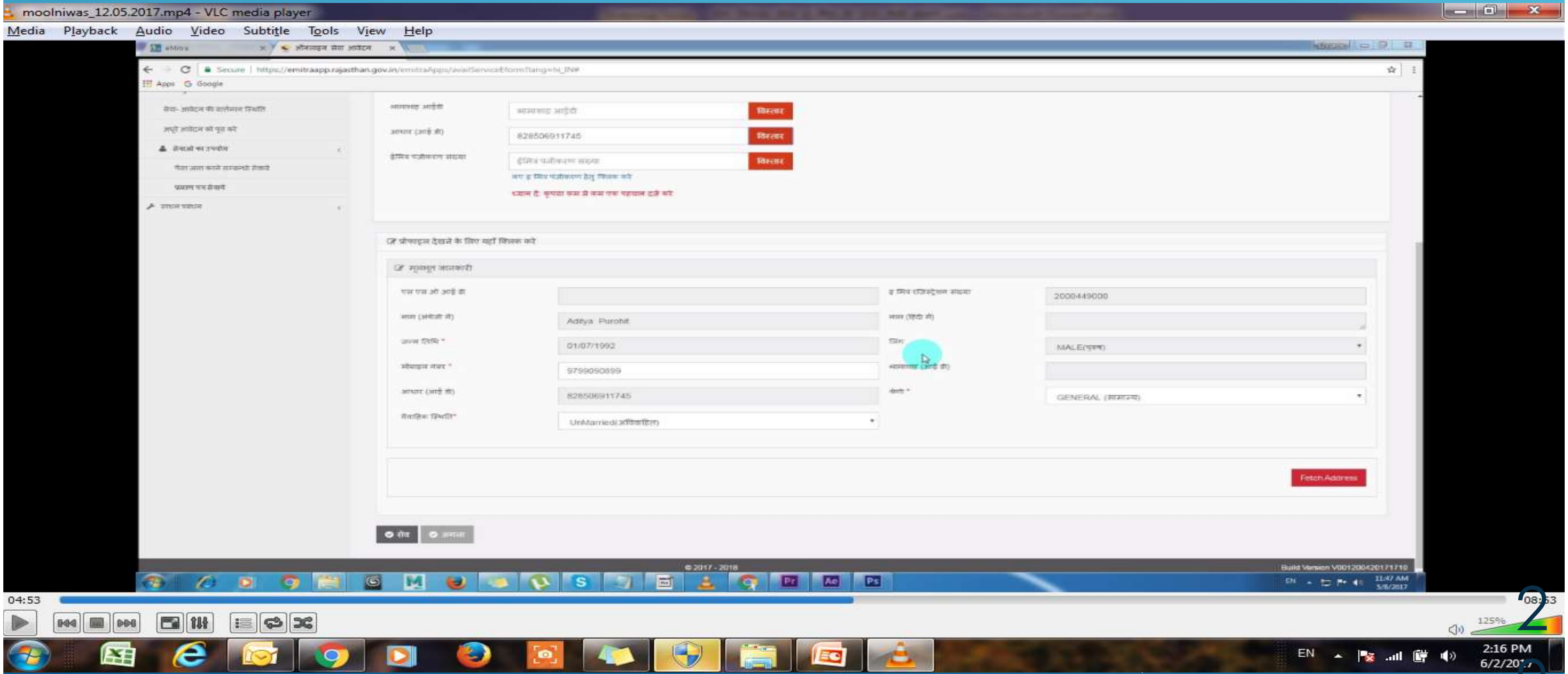

EDITABLE FILED वाली जानकारीयां EDIT कर सकते है व लाल * निशान वाले फिल्ड को भरना आवश्यक है। अत: आवश्यक सभी जानकारीयां भरना सूनिश्चित करे।

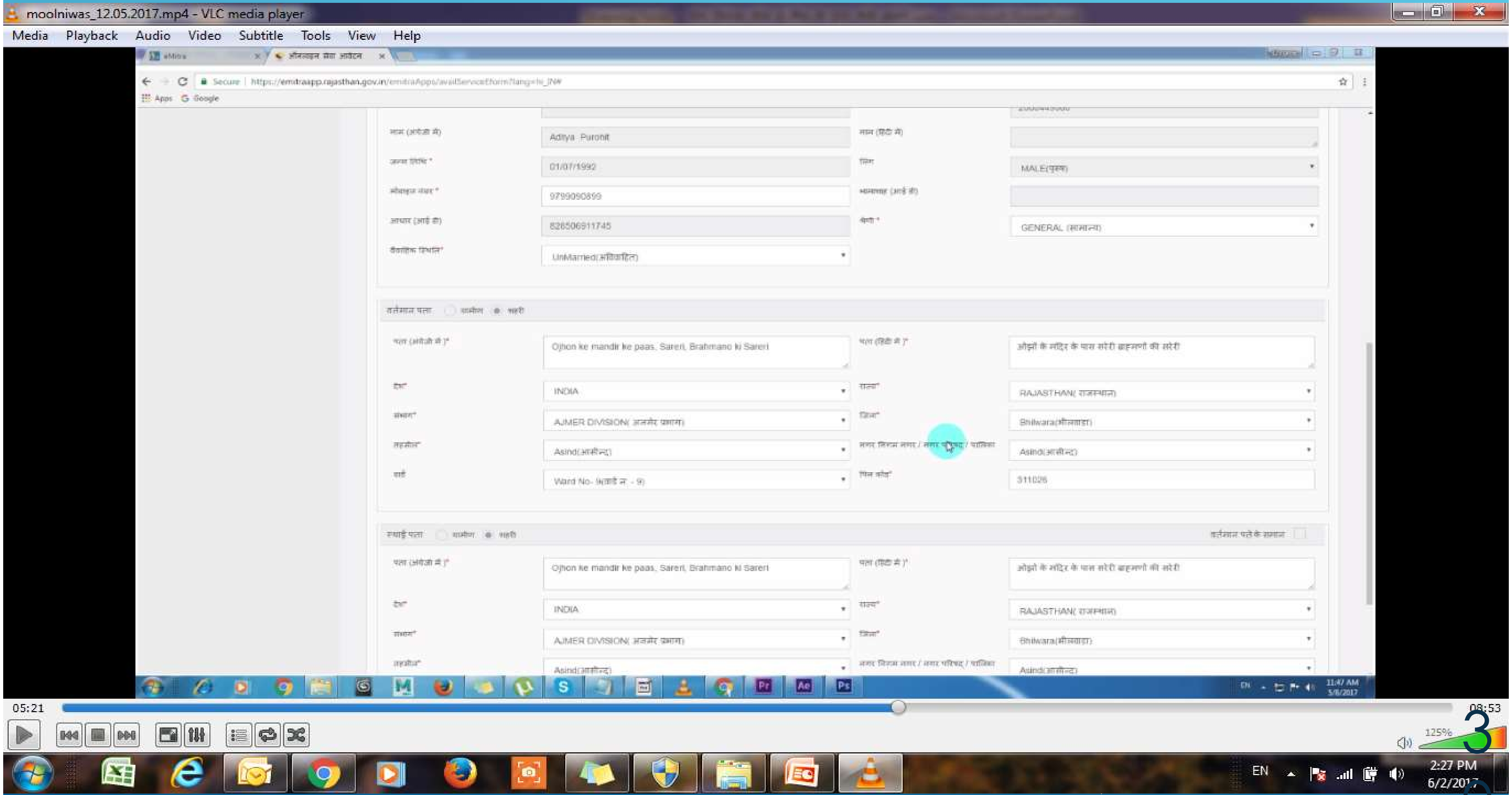

यदि आवेदक का स्थिाई पता वर्तमान पते के समान है तो SAME AS CURRENT ADDRESS वाले बॉक्स पर क्लिक करे, अन्यथा जानकारीयां दर्ज करके “सेव” बटन पर क्लिक करे फिर “अगला” बटन पर क्लिक कर दे।

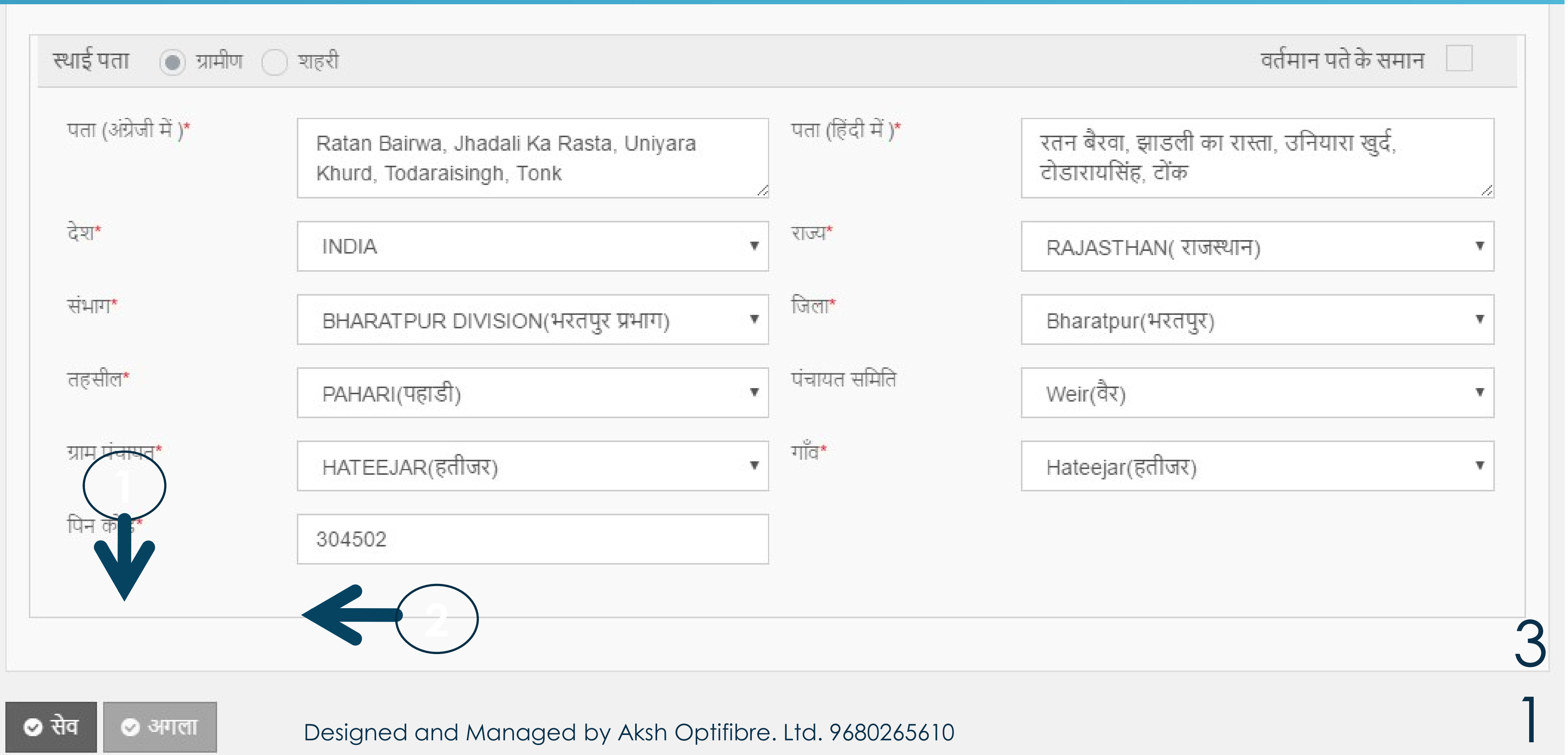

स्थाई पता ◉ ग्रामीण ○ शहरी — वर्तमान पते के समान ☐

पता (अंग्रेजी में)*	Ratan Bairwa, Jhadali Ka Rasta, Uniyara Khurd, Todaraisingh, Tonk	पता (हिंदी में)*	रतन बैरवा, झाडली का रास्ता, उनियारा खुर्द, टोडारायसिंह, टोंक
देश*	INDIA	राज्य*	RAJASTHAN(राजस्थान)
संभाग*	BHARATPUR DIVISION(भरतपुर प्रभाग)	जिला*	Bharatpur(भरतपुर)
तहसील*	PAHARI(पहाडी)	पंचायत समिति	Weir(वैर)
ग्राम पंचायत*	HATEEJAR(हतीजर)	गाँव*	Hateejar(हतीजर)
पिन कोड*	304502		

सेव अगला

जिसके पश्चात निम्न प्रकार से मूल निवास के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा जिसमें आवेदक से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण पहले से प्रदर्शित है, जांच ले व आगे बढे।

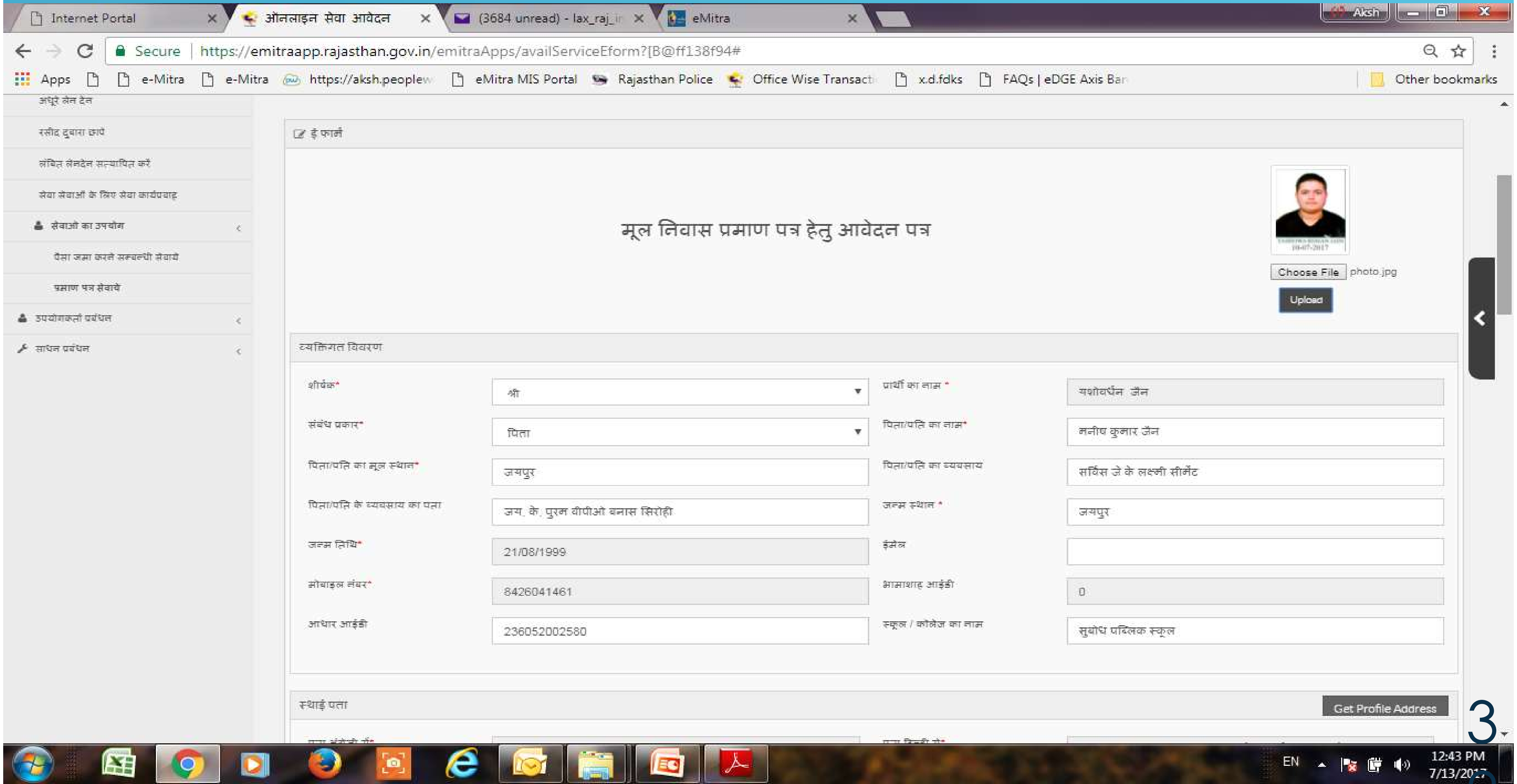

आवेदक की शिक्षा, अन्य विवरण एवं महिला के लिए दिये गये कॉलम में आवश्यक जानकारी दर्ज करे।

आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की

	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
10 वीं	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
12 वीं	उच्च माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
स्नातक	राजस्थान युनिवर्सिटी	जयपुर
स्नातकोत्तर		
अन्य		

अन्य विवरण

स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान*
56, सेक्टर-8, मालवीय नगर,जयपुर

क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?*
हां

आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?*
12

महिला के लिए

क्या आप विवाहित हैं ?*
चयन करें

आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?*
चयन करें
पति का नाम

क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?*
चयन करें

आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?*
चयन करें
स्थान का नाम

आवेदक के राजस्थान का मूल निवासी होने के घोषणा पत्र की शर्तों एवं नियम को स्वीकार करना होगा इसके लिए “मै तसदीक करता/करती हूं कि.....” बॉक्स को टीक करना होगा।

संबधित दस्तावेज सलंग्न विवरण

1 राजस्थान मे पैदा हुआ है और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो

- माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- 10 वर्षो के लगातार षिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

2 उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान मे10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप मे अंगीकृत करते हो |

3 यह या उसके माता-पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्व करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4 उन महिलाओ की दषा में जो राजस्थान की मूल निवासी नही है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी माने ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।

5 राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वय या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र(टीएसपी) के लिए लागु नही होगा।

☑ मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

इसके बाद संलग्नक श्रेणी वाले दस्तावेज में दिये गये विकल्पों में से कोई भी 10 साल पुराने दस्तावेज का चयन करे इसके लिए ड्राप डाउन लिस्ट में से पते के दस्तावेज के तौर पर किसी एक विकल्प का चयन कर उसकी आई.डी. क्रमांक दर्ज करे या स्केन कॉपी अपलोड करे और आवेदन मय शपथ पत्र की स्केन कॉपी अपलोड करे। संलग्नक सूची में जोड़ने हेतु ADD बटन पर क्लिक करेंगे।

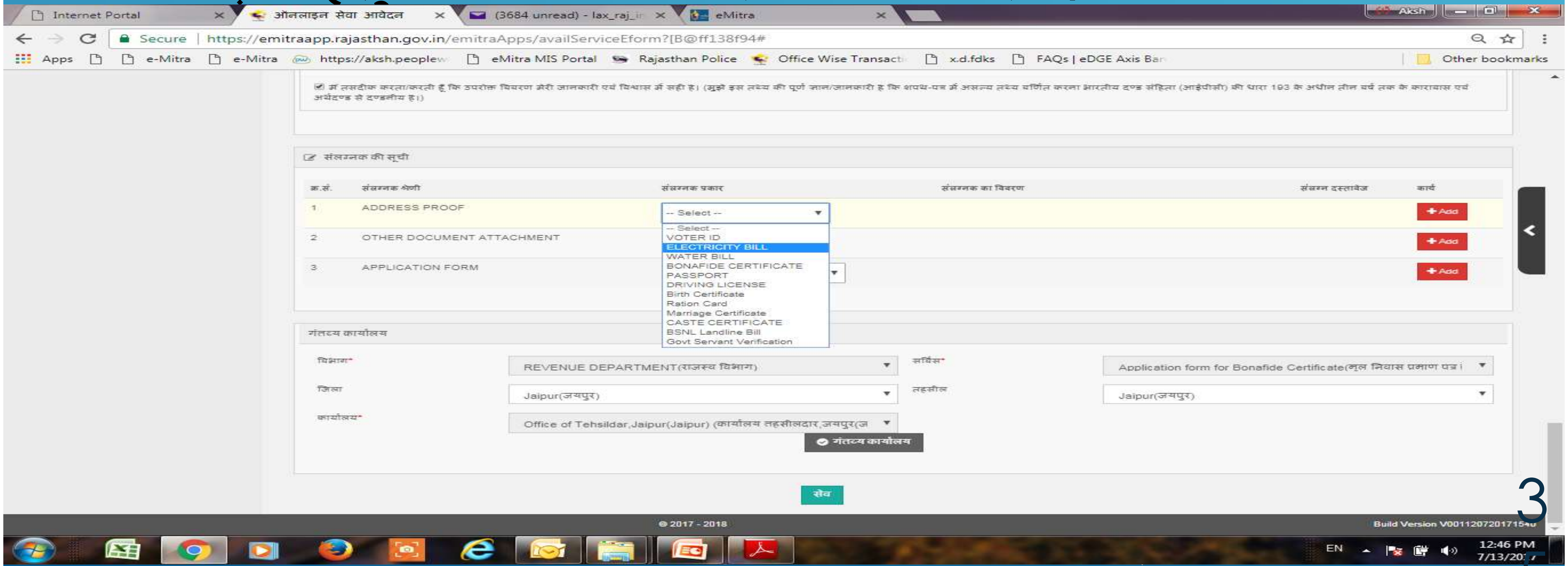

ड्राप डाउन लिस्ट में से जैसे बिजली का बिल का चयन कर बिल का “के नम्बर” दर्ज करने पर आवेदक की जानकारीयां जैस नाम, पता इत्यादि दिखने लगेगी। यह जानकारीयां EDIT नहीं की जा सकती है इस प्रकार आवेदक का समय बचता है। ADD बटन पर क्लिक करके इसे संलग्न करे।

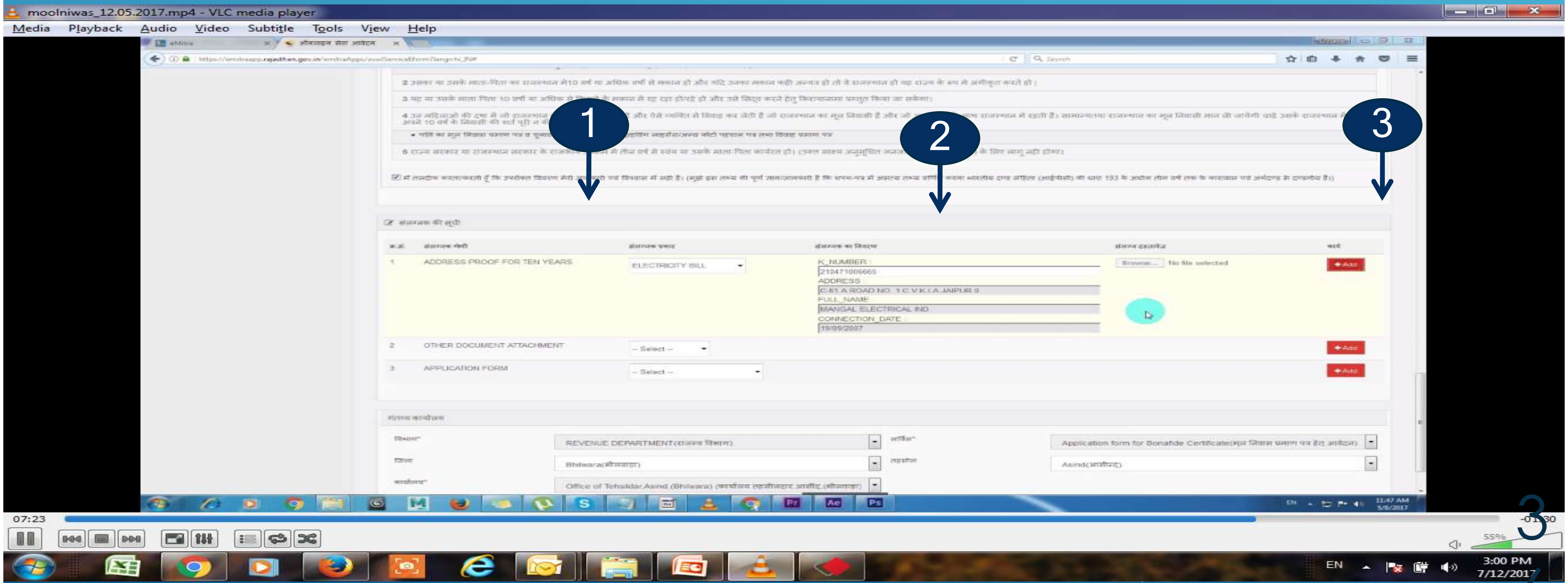

अन्य दस्तावेज एवं आवेदन पत्र की स्केनड PDF फाईल अपलोड करे जो 1MB साईज से ज्यादा न हो और यह फाइल एक ही बार ही अपलोड की जायेगी।

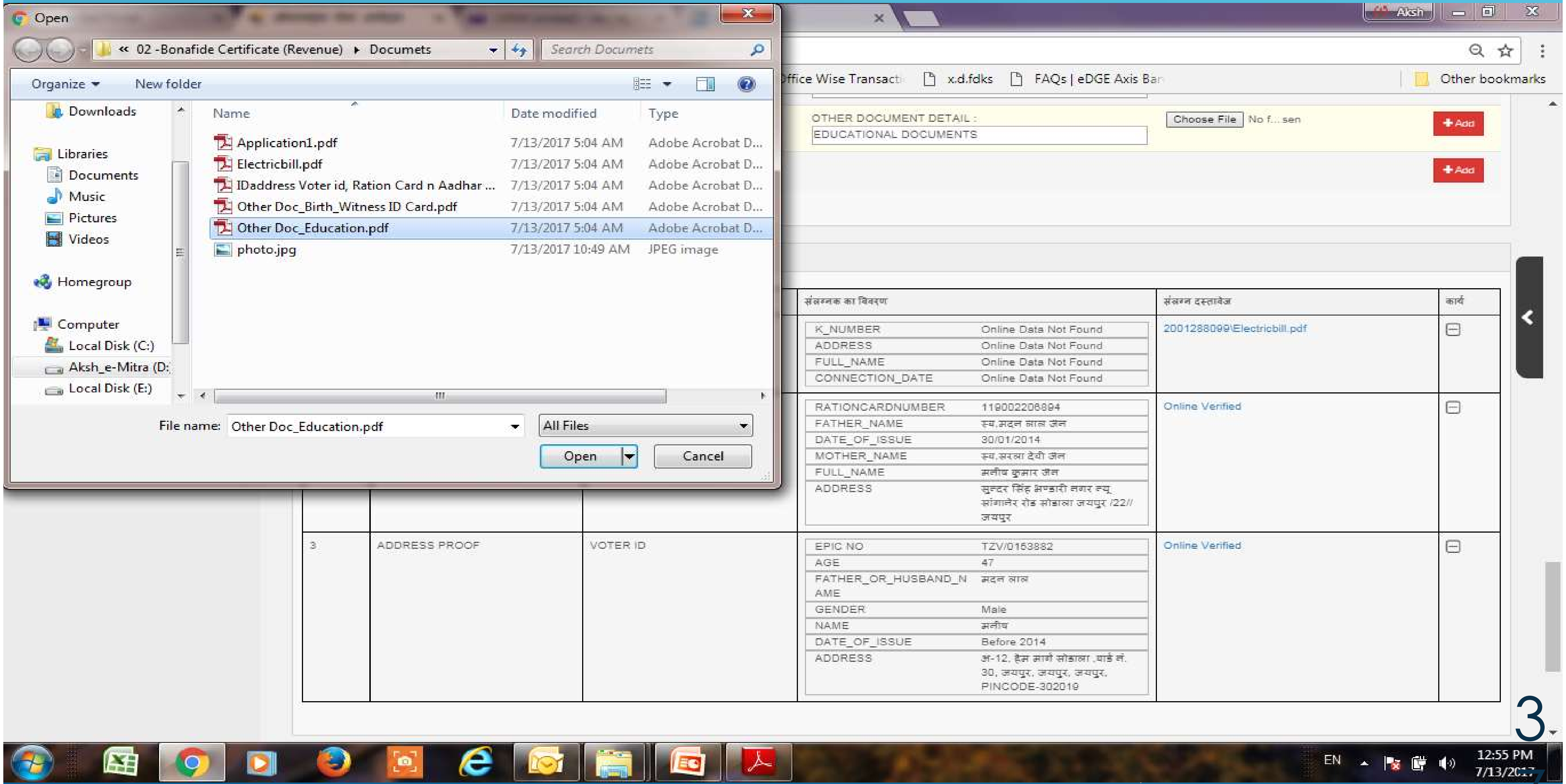

मूल निवास के लिए संलग्न किये गये दस्तावेज़ों की सूचीं इस प्रकार प्रदर्शित होती है-

संलग्नक सूची

क्र.सं.	संलग्नक श्रेणी	संलग्नक प्रकार	संलग्नक का विवरण	संलग्न दस्तावेज	कार्य
1	ADDRESS PROOF	ELECTRICITY BILL	K_NUMBER: Online Data Not Found ADDRESS: Online Data Not Found FULL_NAME: Online Data Not Found CONNECTION_DATE: Online Data Not Found	2001288099\Electricbill.pdf	
2	ADDRESS PROOF	Ration Card	RATIONCARDNUMBER: 119002206894 FATHER_NAME: स्व.मदन लाल जैन DATE_OF_ISSUE: 30/01/2014 MOTHER_NAME: स्व.सरला देवी जैन FULL_NAME: मनीष कुमार जैन ADDRESS: सुन्दर सिंह भण्डारी नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर /22// जयपुर	Online Verified	
3	ADDRESS PROOF	VOTER ID	EPIC NO: TZV/0153882 AGE: 47 FATHER_OR_HUSBAND_NAME: मदन लाल GENDER: Male NAME: मनीष DATE_OF_ISSUE: Before 2014 ADDRESS: अ-12, हेम मार्ग सोडाला ,वार्ड नं. 30, जयपुर, जयपुर, जयपुर, PINCODE-302019	Online Verified	
4	OTHER DOCUMENT ATTACHMENT	Other document	OTHER DOCUMENT DETAIL: EDUCATIONAL DOCUMENTS	2001288099\Other Doc_Education.pdf	
5	OTHER DOCUMENT ATTACHMENT	Other document	OTHER DOCUMENT DETAIL: BIRTH CERTIFICATE AND WITNESS PERSON ID PROOF	2001288099\Other Doc_Birth_Witness ID Card.pdf	
6	APPLICATION FORM	Scan Copy of application form	DOCUMENT NAME: BONAFIDE APPLICATION FORM AND SAPATH PATRA	2001288099\Application1.pdf	

इस आवेदन के लिए संबंधित तहसील कार्यालय का चयन करे जहां यह आवेदन पत्र ओनलाइन जायेगा। इसके पश्चात गंतव्य कार्यालय बटन पर क्लिक करे आवेदन पत्र को पूरी तरह से जांच लेवें तथा “सेव” बटन पर क्लिक करके डाटा सेव करे।

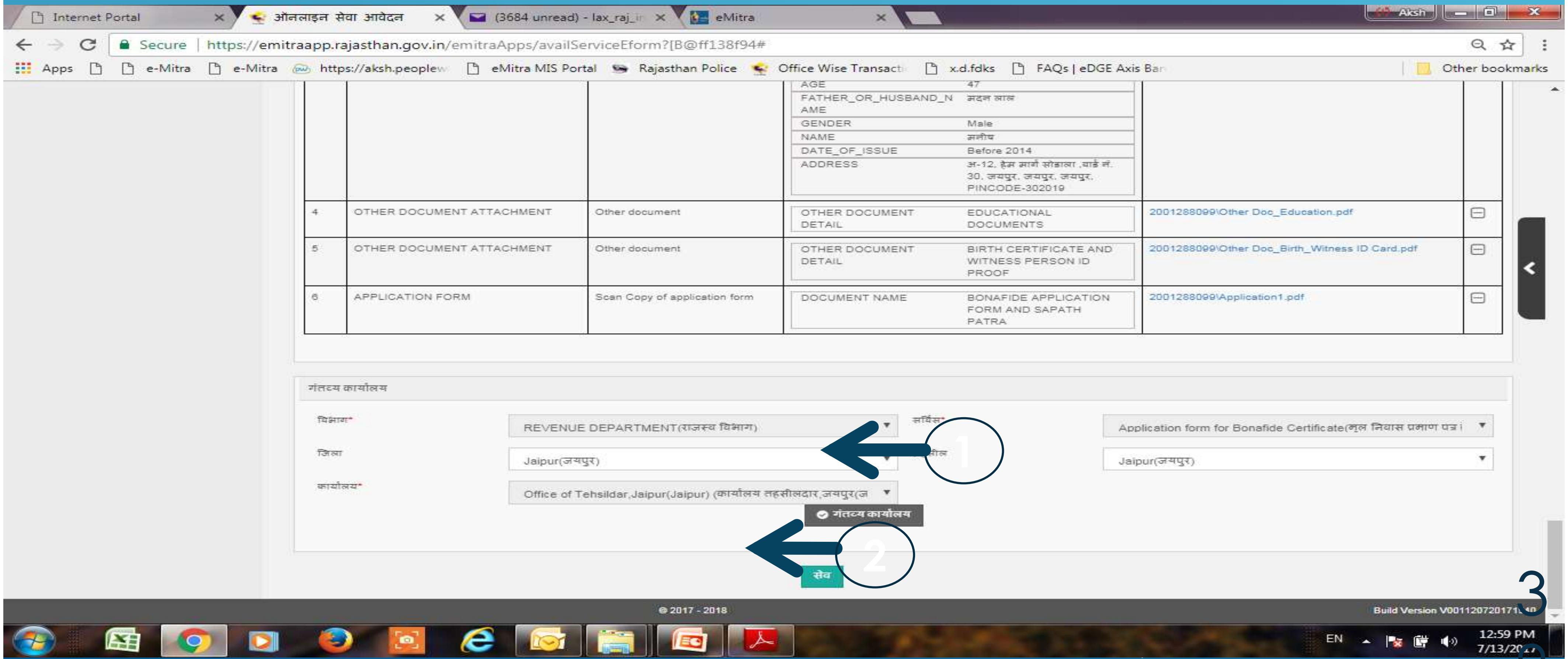

इस फोर्म को सेव करने के लिए OK करे या सूधार के लिए CANCEL करे।

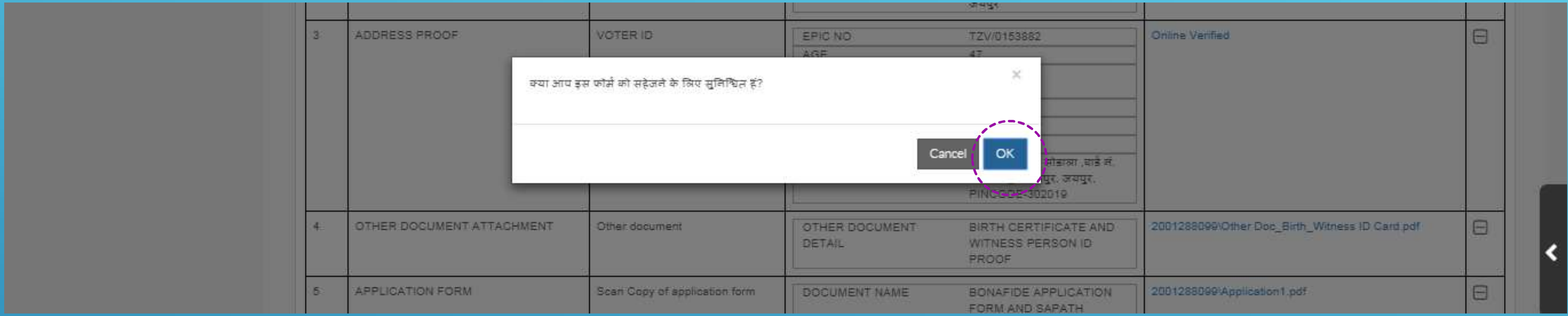

आपका फार्म सफलतापूर्वक सेव हो चुका है, आगे भुगतान की प्रक्रिया करें करने के लिए OK करे।

अब “भुगतान के लिए आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।

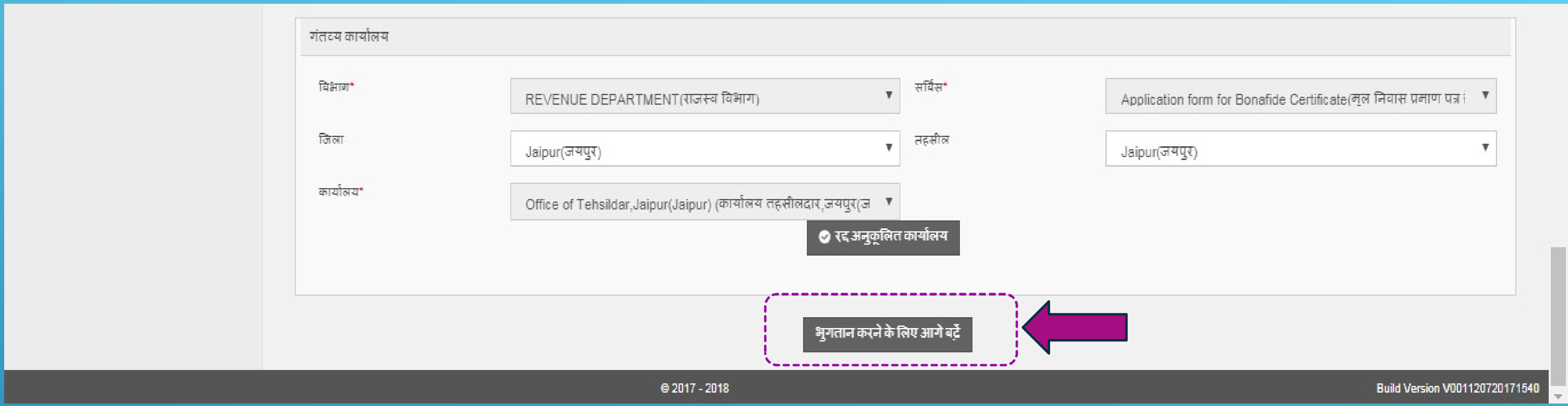

इसके बाद “भुगतान के लिए बिल जोड़े” बटन पर क्लिक करें।

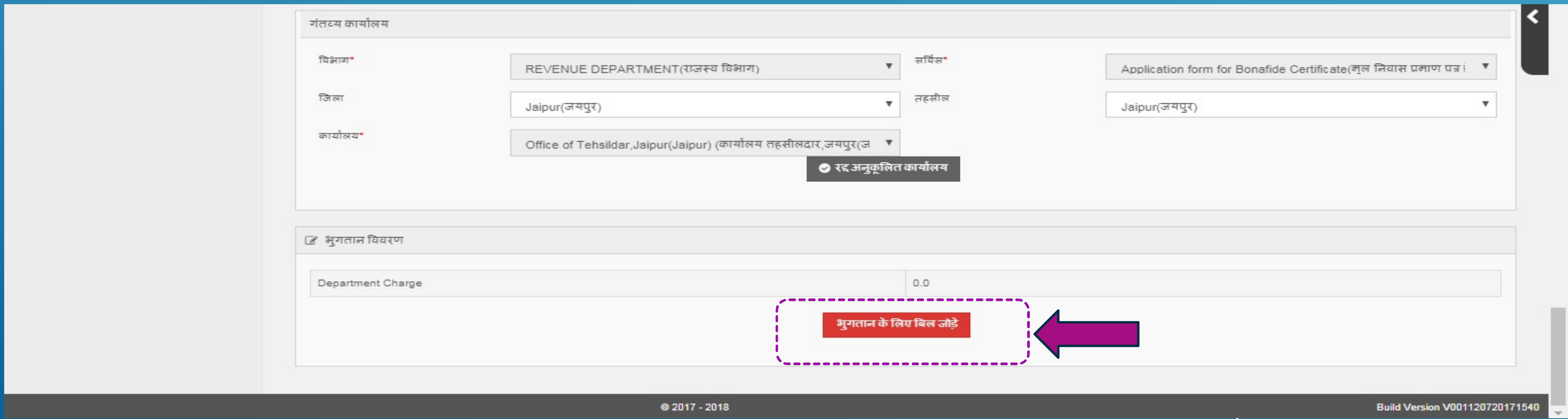

फिर "भुगतान" बटन पर क्लिक करें।

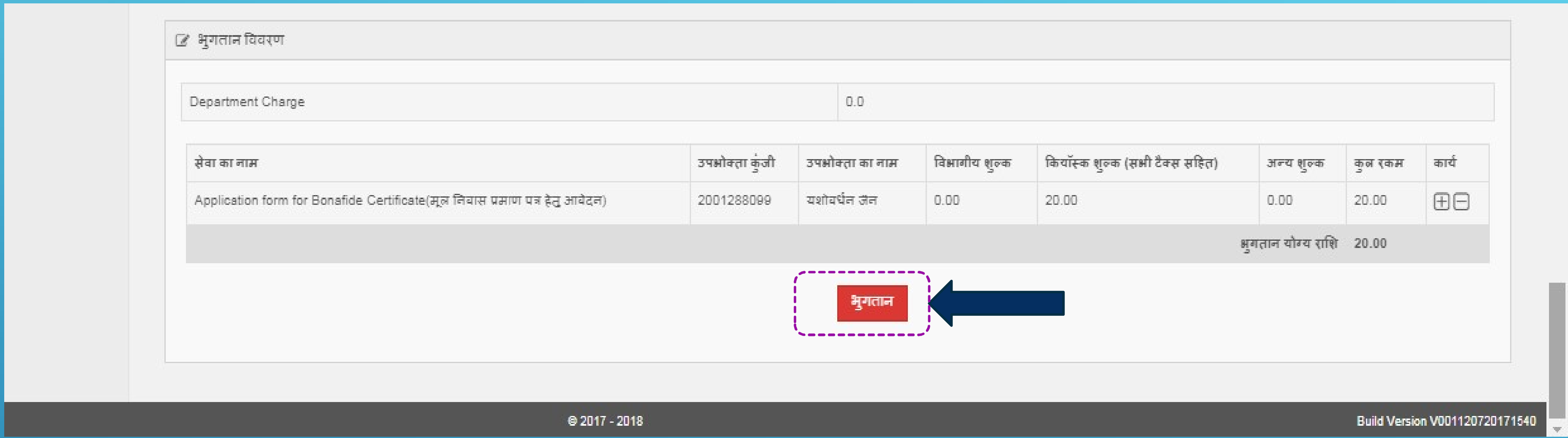

और "जारी रखे" बटन पर क्लिक करें।

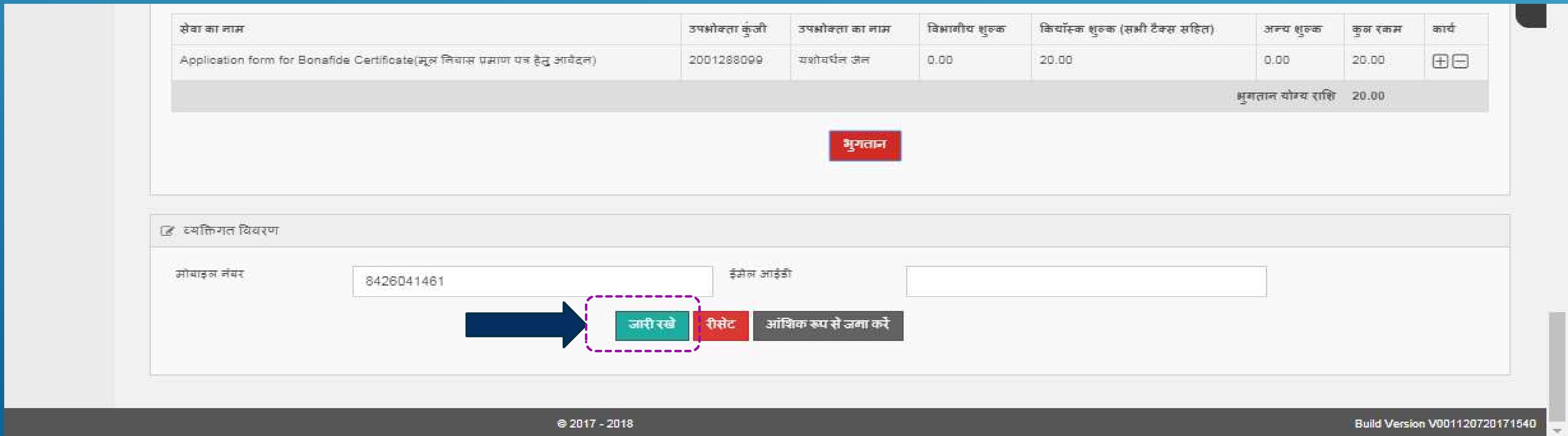

भुगतान प्रकार WALLET का चयन कर “PAY BY WALLET” बटन पर क्लिक करके भुगतान प्रक्रिया पुरी करे।

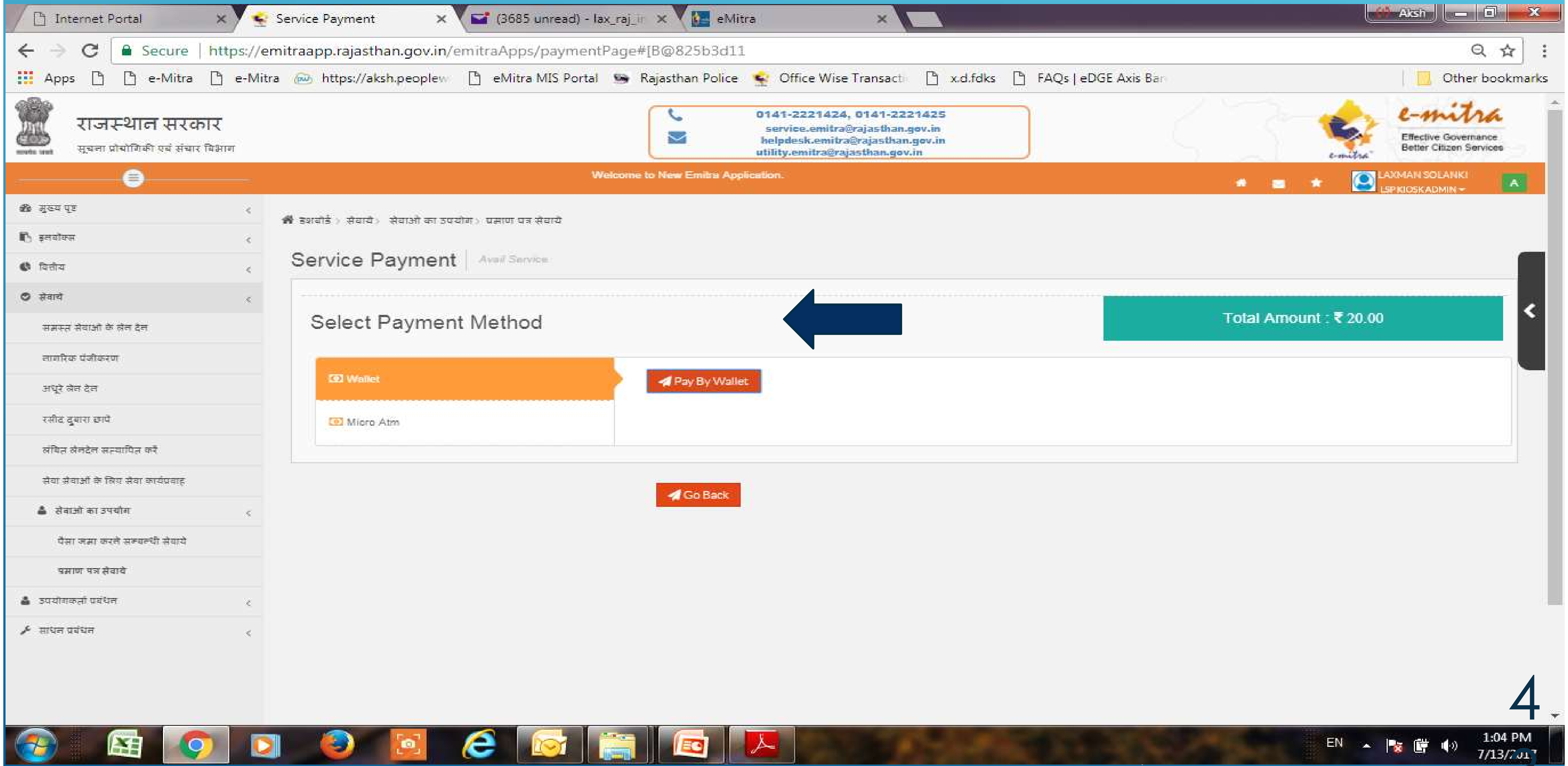

रसीद प्रिंट करने हेतु “PRINT LASER RECEIPT” बटन को क्लिक करें।

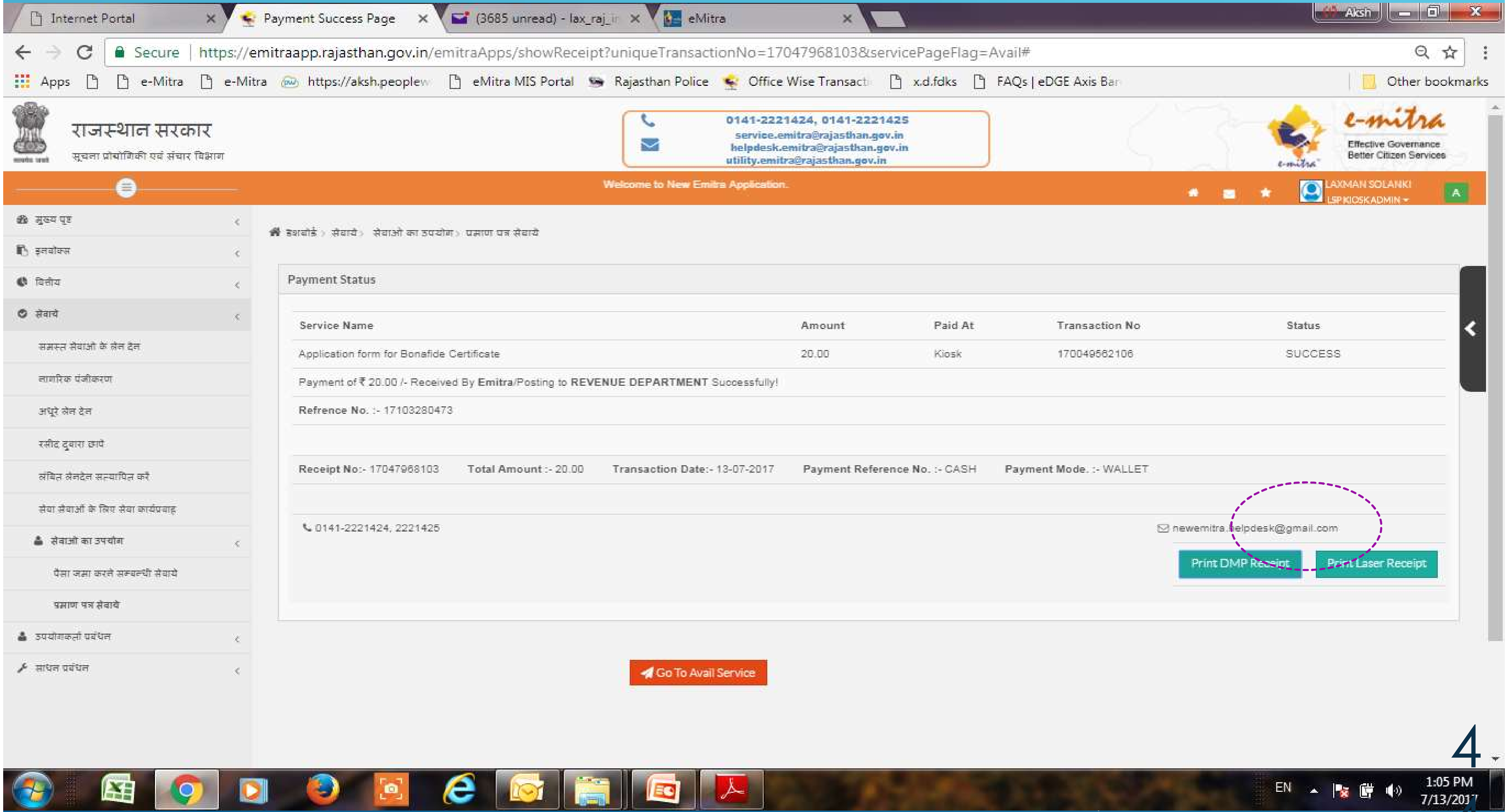

आवेदक को रसीद जारी करें।

Government of Rajasthan
District e-Governance Society (Jaipur)

e-mitra
Effective Governance
Better Citizen Services

Code: K11062800 [LAX.PDCOR.DOIT]
Kiosk: AKSH JAIPUR
LSP:AKSH OPTIFIBRE
Phone:9549890603
Email:akshjaipur141@gmail.com

Receipt No: 17047968103 **Receipt Date/Time:** 13/07/2017 13:04:59

Sr No.	Department/Service	Consumer Info	Trans ID	Mode	Amount
1	REVENUE/Bonafide	2001288099/यशोवर्धनजैन	170049562106	CASH	20.00
Grand Total					**20.00**

Disclaimer: Payment through Cheque or DD are subject to realization.

Received Amount Rs.20.00 (Rupees Twenty Only)

(This is a computer generated receipt and requires no signature)

ई-मित्र पर आवेदन की स्थिती देखना

मेन्यू बार में SERVICE → SERVICE WORKFLOW FOR APPLICATION SERVICE पर जाये।

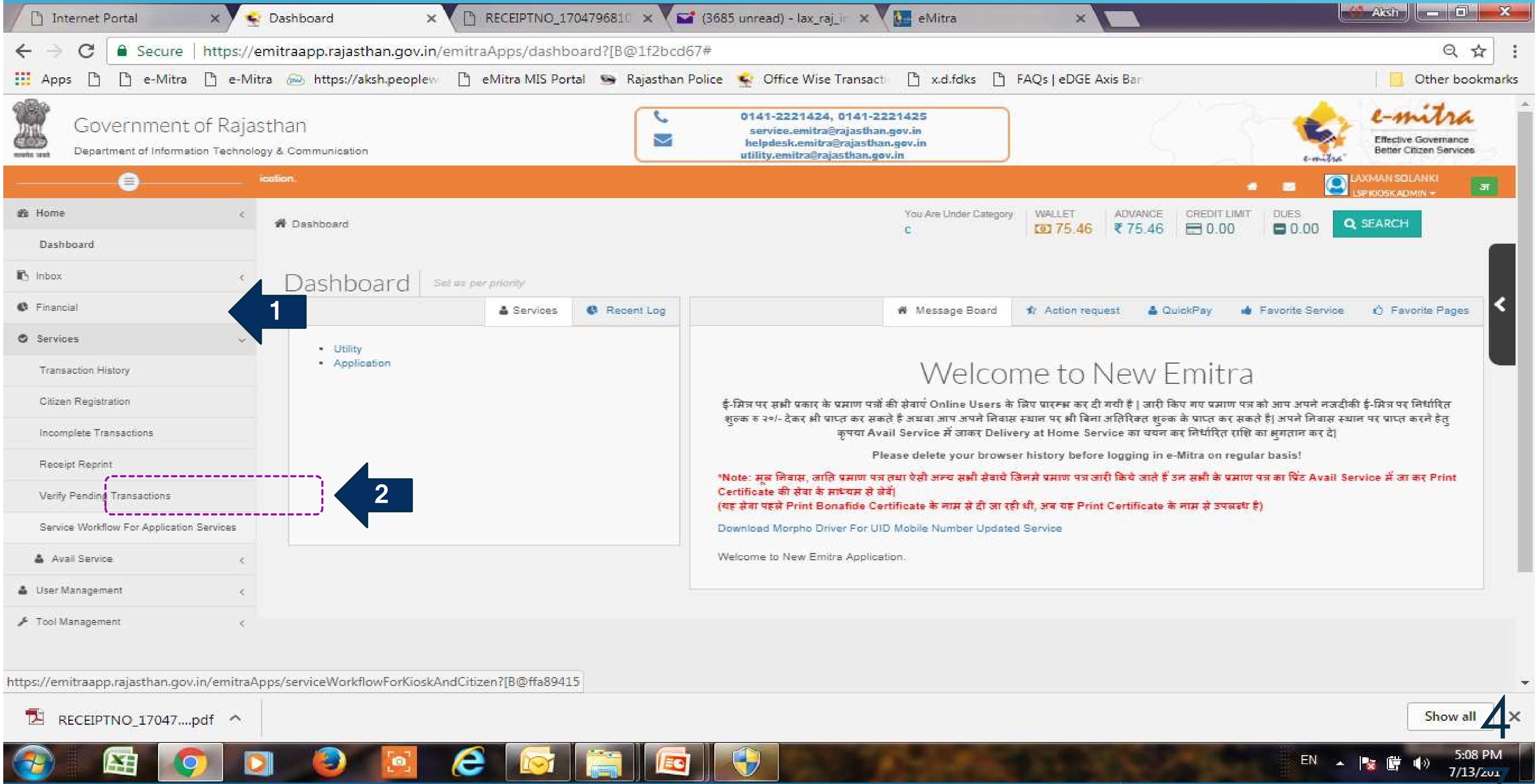

आवेदन को दिनांक, विभाग, सेवा, टोकन नम्बर इत्यादि में से किसी एक या अधिक विकल्पों से सर्च कर सकते है।

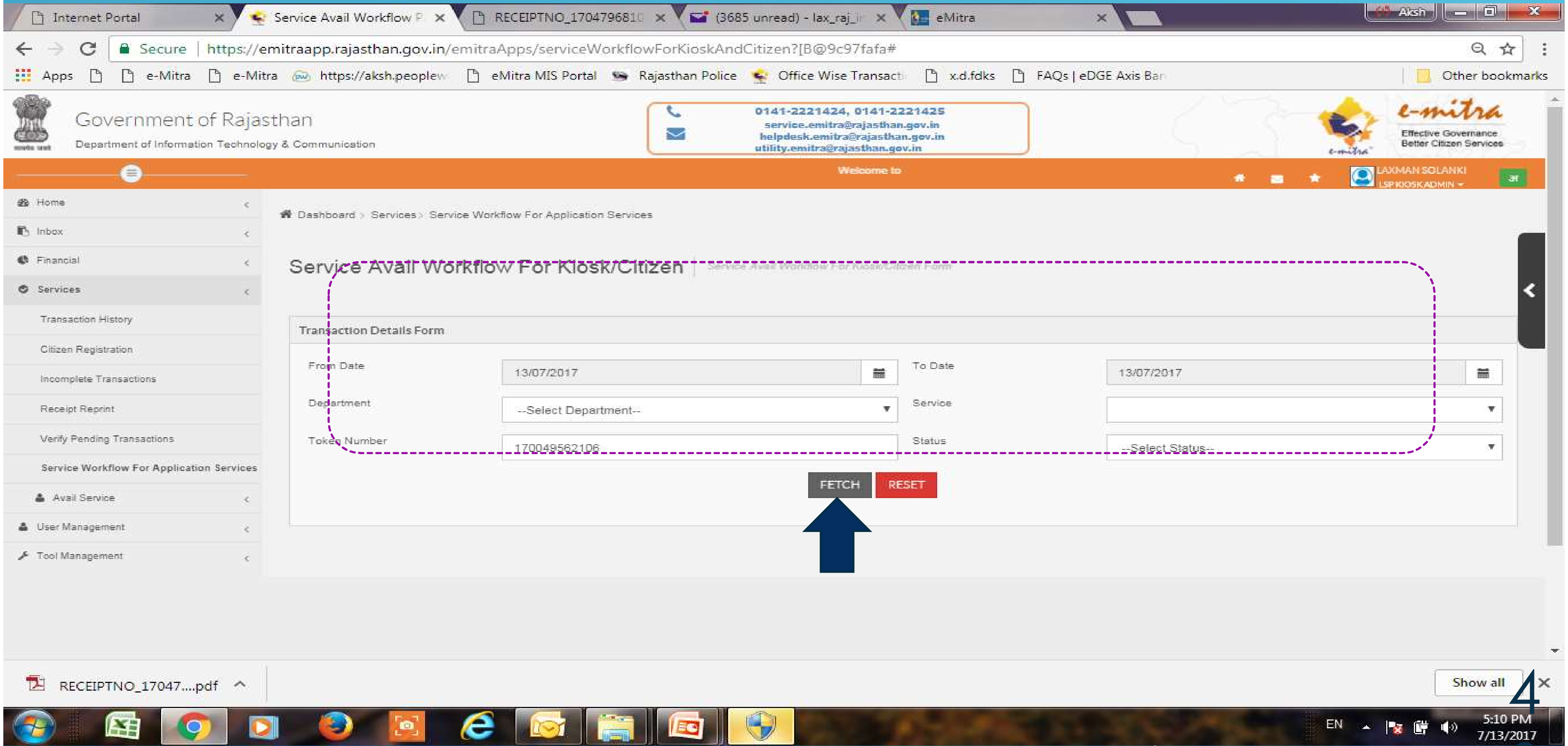

सर्च की गई आवेदन की जानकारीयां जिसमें APPLICANT NAME, SERVICE NAME, TOKEN NO., OFFICE, CURRENT STATUS, SUBMITTED DATE इत्यादि प्रदर्शित होती हैं। आवेदन पत्र के सामने रेडियो बटन का चयन कर आवेदन की डिटेल प्राप्त की जा सकती है और सूधार के लिए आने पर इसमें सूधार भी किया जा सकता है।

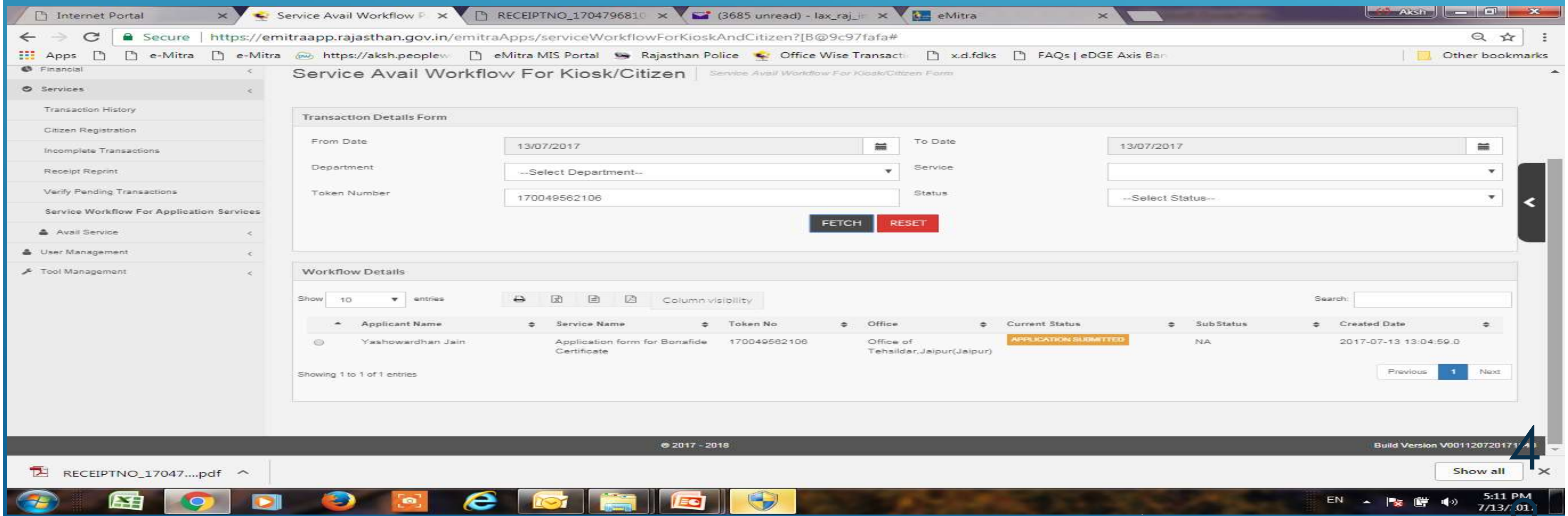

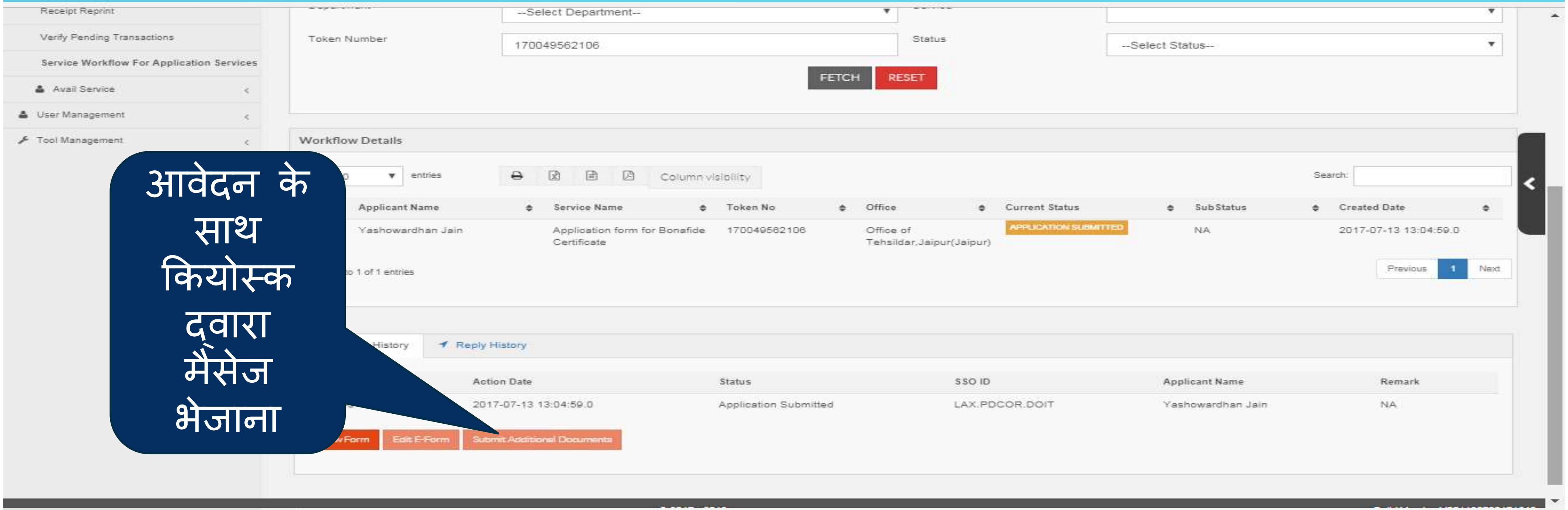

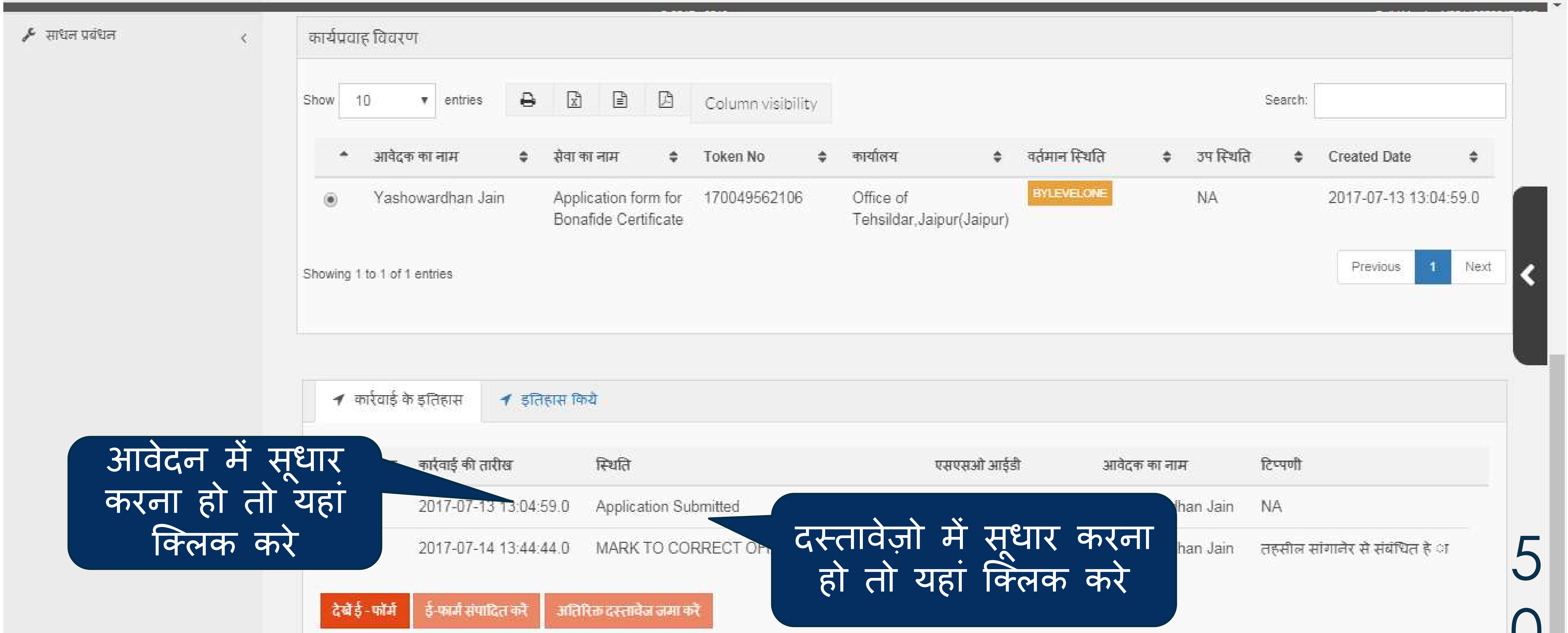

Designed and Managed by Aksh Optifibre. Ltd. 9680265610

REPLY HISTORY:- आवश्यकता होने पर कियोस्क धारक भी विभाग को अपनी समस्या या मैसेज दे सकते है।

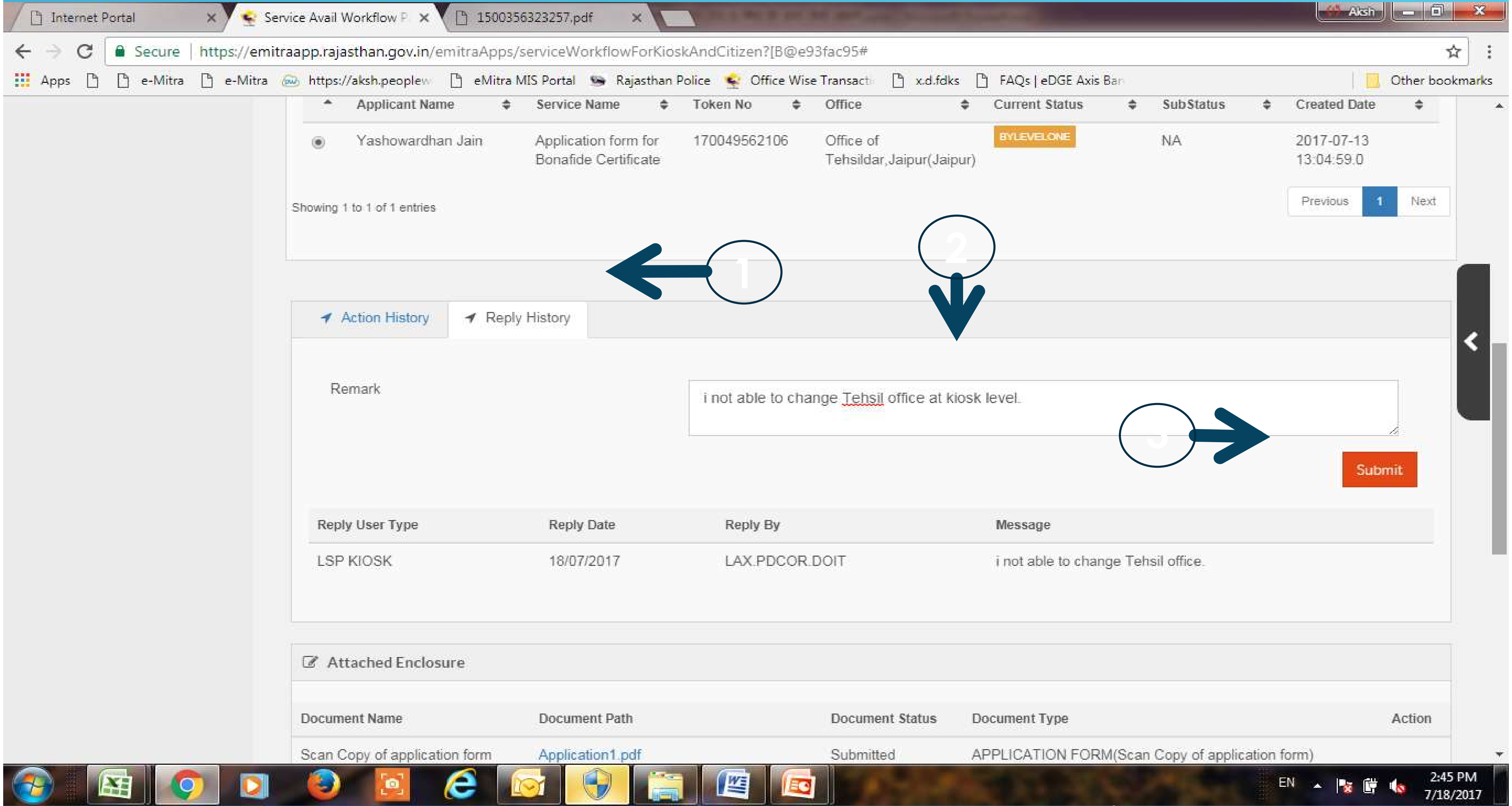

आवेदन की स्थिति के प्रकार

- **Application Submitted:-**

आवेदन कार्यालय स्तर पर लंबित है। जिसे अभी प्रक्रिया में नहीं लिया गया है।

- **Pending Level 1:-**

आवेदन कार्यालय स्तर के Dealing Authority स्तर पर लंबित है। जिसे प्रक्रिया में लिया जा चुका है।

- **Pending Level 2:-**

आवेदन कार्यालय स्तर के Issuing Authority स्तर पर लंबित है। जिसे प्रक्रिया में लिया जा चुका है।

Designed and Managed by Aksh Optifibre. Ltd. 9680265610

- **Send back to Citizen Level :-**

आवेदन की स्थिति के प्रकार

आवेदन कियोस्क पर पुन: लौटा दिया गया है जिसे कियोस्क स्तर से "**Edit E-Form**" के द्वारा आवेदन में और "**Submit Additional Documents**" के द्वारा दस्तावेजों में सुधार कर आवेदन को पुन: सबमिट किया जा सकता है।

- **Approved:-**

प्रमाण पत्र को **Issuing Authority** द्वारा eSign से जारी कर दिया गया है जिसे अब प्रिन्ट किया जा सकता है।

दोस्तों उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर ई-मित्र की नई जानकारी लेकर हाजीर होंगे, नमस्कार।

THANKS

AKSH OPTIFIBRE LTD
E-Mail:-aksh.rajasthan@akshoptifibre.com
Help.Phone:-0141-2716302,303,304,305,306,308,311,312,313